(1)

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

प्रेस नोट

राज्य में नाट्य एवं फिल्म शिक्षा के क्षेत्र में संस्थागत प्रशिक्षण केन्द्र का अभाव है। प्रतिभाशाली छात्र–छात्राएँ उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु अन्य राज्यों अथवा राष्ट्रीय संस्थानों (जैसे–राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली तथा फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे) पर निर्भर हैं। परिणाम स्वरूप राज्य में कला एवं सांस्कृतिक प्रतिभाओं का पलायन होता रहा है।

बिहार की समृद्ध नाट्य परंपरा (भिखारी ठाकुर का 'बिदेसिया', लोक नाट्य परंपरा, मैथिली एवं मगही नाटक) तथा राज्य में विकसित हो रही फिल्म रूचि एवं उद्योग की संभावनाओं को देखते हुए राज्य स्तर पर एक ''बिहार फिल्म एवं नाट्य संस्थान'' की स्थापना आवश्यक है।

राज्य में ''बिहार फिल्म एवं नाट्य संस्थान'' की स्थापना होने से बिहार के युवाओं को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध होगा, प्रतिभा पलायन में कमी आएगी, लोक नाट्य एवं आधुनिक थियेटर का संरक्षण एवं विकास होगा, फिल्म उद्योग के विस्तार से रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा तथा बिहार राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृति एवं फिल्म हब के रूप में प्रतिष्ठित होगा।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

प्रेस नोट

बिहार राज्य के विभाजन के उपरान्त उत्तरवर्त्ती बिहार राज्य के लोगों की जीविका मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। बिहार राज्य के कृषि रोड मैप अन्तर्गत कृषि को लाभकारी बनाए जाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाओं को राज्य में संचालित किया जा रहा है। बिहार राज्य बागवानी मिशन, बिहार राज्य बीज निगम, फसल बीमा, कृषि यांत्रिकीकरण, उपादान समेत अनेकों कृषि योजनाओं का लाभ युक्तियुक्त रूप से प्रत्येक कृषकों तक पहुँचाने तथा आम उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु कृषि विभागीय विभिन्न कार्यालयों में कृषि संबंधी कार्यों के सुगमतापूर्वक संचालन को दृष्टिपथ में रखते हुए बिहार कृषि विभागीय आशुलिपिक संवर्ग के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति की कार्रवाई की जानी है, ताकि सभी स्तर पर पूर्ण कार्यबल उपलब्ध हो सके जिनके माध्यम से संचालित योजनाओं का शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा सके एवं राज्य के समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।

राज्य में बिहार कृषि विभागीय आशुलिपिक संवर्ग के रिक्त पदों को नियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा भरने के उद्देश्य से बिहार कृषि विभागीय आशुलिपिक संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली 2025 के आलोक में कृषि विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत पद का समर्पण/प्रत्यर्पण करते हुए आशुलिपिक संवर्ग के 218 नया पद सृजन किया जा रहा है।

(पंकज कुमार),
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

प्रेस नोट

चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत तेलहनी फसलों को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय खाद्य तेल–तेलहन मिशन अन्तर्गत कुल 2585.031 लाख (पचीस करोड़ पचासी लाख तीन हजार एक सौ) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में किया जायेगा।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में तेलहनी फसलों के आधार बीज का उत्पादन करना, प्रत्यक्षण एवं प्रमाणित बीज वितरण के माध्यम से गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए आच्छादन, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ ही तेल उत्पादन हेतु मिलों की स्थापना, स्टोरेज की व्यवस्था कर किसानों की आय में वृद्धि करना है।

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2025–26 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अन्तर्गत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (कृषोन्नति योजना) अंतर्गत दलहन योजना के तहत रबी मौसम में मसूर फसल को बढ़ावा देने हेतु मसूर उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा कुल 9585.066 लाख (पंचानवे करोड़ पचासी लाख छः हजार छः सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में किया जायेगा।

योजना अन्तर्गत दलहन फसल मसूर के प्रत्यक्षण, अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण एवं बीज उत्पादन संबंधित कार्य किये जायेंगे। योजना कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य में गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सहित मसूर फसल के उत्पादन में वृद्धि होगी साथ ही किसानों को अधिक आय प्राप्त होगा।

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग।
प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत रबी में गेहूँ बीज विस्थापन दर में वृद्धि के निमित कार्यान्वयन हेतु कुल 3600.00 लाख (छतीस करोड़) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

योजना का मुख्य उद्देश्य गेहूँ के नये बीजों के उपयोग को बढ़ावा देते हुए बीज विस्थापन दर को बढ़ाना एवं उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करना है तथा किसानों को नवीनतम प्रभेदों के उपयोग हेतु जागरूक करना है। इससे गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता में बढ़ोतरी होगी एवं इसके उपयोग से उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि होने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।

08/09/2025
(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग,बिहार, पटना।

(6)

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

प्रेस नोट

केन्द्र प्रायोजित रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (RAD) योजना (60:40) हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कुल 3446.50 लाख (चौंतीस करोड़ छियालीस लाख पचास हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के 17 जिलों यथा शेखपुरा, मुंगेर, नालंदा, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, जमुई, बाँका, लखीसराय, जहानाबाद, गया, भागलपुर, भोजपुर (आरा), बक्सर, पटना एवं अरवल के कुल 4520 हे0 वर्षाश्रित क्षेत्रों में इस योजना के कार्यान्वयन से समेकित कृषि प्रणाली के तहत कृषि कार्य एवं उत्पाद का मूल्य संवर्धन के साथ–साथ प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण देते हुए उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि कर किसानों के आय में वृद्धि होगी।

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

कृषि विभाग।

प्रेस नोट

राज्य योजना मद से उद्यानिक फसलों हेतु विशेष हस्तक्षेप (प्लास्टिक क्रेटस, लेनो बैग एवं फ्रूट ट्रैप बैग) के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 3826.6000 लाख (अड़तीस करोड़ छब्बीस लाख साठ हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों द्वारा उत्पादित फलों एवं सब्जियों के फसलोत्तर प्रबंधन यथा–कृषि उत्पाद को कीट व्याधि एवं परिवहन के क्रम में होने वाली क्षति से बचाने हेतु प्लास्टिक क्रेट्स, फ्रूट ट्रैप बैग एवं लेनोबैग को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराकर फसलों के मूल्य में संवर्द्धन करते हुए कृषकों की आय में वृद्धि करना है।

इस योजना अन्तर्गत राज्य के 38 जिलों के सब्जी एवं फल उत्पादक किसानों को प्रति कृषक न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 50 प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 1000 तथा फ्रूट ट्रैप बैग न्यूनतम 300 एवं अधिकतम 10000 की संख्या में लाभ दिया जायेगा।

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

प्रेस नोट

खान एवं भूतत्व विभाग में परामर्शदातृ प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के रूप में एन0आई0एस0जी0 (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट) की सेवा बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम–131झ(छ) के तहत नामांकन के आधार पर 02 वर्षों के लिए कुल ₹2,79,51,000/– (रूपये दो करोड़ उन्यासी लाख इक्यावन हजार मात्र) एवं जी0एस0टी0 शुल्क के व्यय पर लिये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

(दिवेश सेहरा)
सचिव

(9)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेस नोट

वर्तमान में बांका जिला के शम्भुगंज प्रखंड के सिलौटा ग्राम के पास निर्मित गोडबोले पईन एवं सिलौटा पईन के माध्यम से आस–पास के क्षेत्रों में लगभग 305 हे० क्षेत्र में सिंचाई हो पाती है।

इन क्षेत्रों के किसानों सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हेतु बांका जिला के शम्भुगंज प्रखंड के सिलौटा ग्राम के पास बदुआ नदी पर गोडबोले सिंचाई योजना तैयार की गयी है, जिसकी प्राक्कलित राशि 8153.95 लाख रुपये (इक्यासी करोड़ तीरपन लाख पंचानवे हजार रुपये) है।

योजनांतर्गत निम्न कार्य कराया जाना प्रस्तावित है :–

(xii) बांका जिला के शम्भुगंज प्रखंड के सिलौटा ग्राम के पास बदुआ नदी पर गेटेड वीयर का निर्माण कार्य।

(xiii) वीयर के अपस्ट्रीम में दायें बांध पर (0.80 कि०मी०) एवं बायें बांध पर (0.30 कि०मी०) सुरक्षात्मक कार्य।

(xiv) वीयर के डाउनस्ट्रीम में दायें बांध पर (0.15 कि०मी०) एवं बायें बांध पर (0.15 कि०मी०) सुरक्षात्मक कार्य।

(xv) हेड रेगुलेटर (गोडबोले पईन) – 01 अदद।

(xvi) हेड रेगुलेटर (सिलौटा पईन) – 01 अदद।

(xvii) आउटलेट – 15 अदद।

(xviii) फॉल – 04 अदद

(xix) एकपथीय सेतु – 01 अदद।

(xx) ऑपरेटर रूम – 01 अदद।

(xxi) गोडबोले पईन एवं इससे निःसृत 02 अदद पईनों (कुल लम्बाई 5.26 कि०मी०) में पुनर्स्थापन कार्य।

(xxii) सिलौटा पईन एवं इससे निःसृत 01 अदद पईन (कुल लम्बाई 2.686 कि०मी०) में पुनर्स्थापन कार्य।

इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् बांका जिला के शम्भुगंज प्रखंड के 2506 हे० क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संचिका संख्या– ग्रा.वि.–10 / बजट–06 / 2025

प्रेस नोट

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR), हैदराबाद में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स (CoE) की स्थापना हेतु ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या 42 के ''स्थापना एवं प्रतिबद्व व्यय'' मद में कुल 500.00 लाख (पांच करोड़) रूपये की राशि की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गयी है ।

इसकी स्वीकृति से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR), हैदराबाद में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स (CoE) की स्थापना हेतु 500.00 लाख (पांच करोड़) रूपये की राशि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR), हैदराबाद को उपलब्ध करायी जा सकेगी ।

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

11

बिहार सरकार

<u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>

बिहार, पटना

।। प्रेस नोट ।।

गृह विभाग, बिहार के विशेष कार्य बल (STF) के प्रस्तावित मुख्यालय भवन, लोदीपुर, पटना के निर्माण हेतु बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित–2025) की कंडिका–38(11) के आलोक में फर्श क्षेत्र अनुपात (F.A.R.) को 1.5 से बढ़ाकर F.A.R. 2.21 करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

(12)

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार, पटना

।। प्रेस नोट ।।

कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के प्रस्तावित पुरातत्व भवन के निर्माण हेतु बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित–2025) की उपविधि–38(11) के आलोक में फर्श क्षेत्र अनुपात (F.A.R.) 1.5 से बढ़ाकर F.A.R. 2.5 की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

(13)

बिहार सरकार

<u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>

बिहार, पटना

।। प्रेस नोट ।।

राज्य के महत्वपूर्ण भवनों के 200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत सरकारी भवनों के निर्माण में ऊँचाई संबंधित प्रभावी प्रतिबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित–2025) के उपविधि–21 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

14

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
।। प्रेस नोट।।

विषयः— नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3997, दिनांक–10.09.2015 द्वारा बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रबंधन सोसाइटी **BGCMS (SPMG, Bihar)** हेतु सृजित सभी संविदा आधारित 32 पदों का प्रत्यर्पण एवं आवश्यकता आधारित पदों पर **Professionals** की सेवा प्राप्त करने हेतु ई०–निविदा के माध्यम से **Consultancy Agency** का चयन करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(अभय कुमार सिंह),
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

15

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत पूर्णिया जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 2,84,78,94,479/– (दो सौ चौरासी करोड़ अठहत्तर लाख चौरानबे हजार चार सौ उनासी रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पूर्णिया जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :–

पूर्णिया जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत 48787 गृह जल संयोजन हेतु 18 ट्यूब्वेल, 18 क्लोरीनेटर प्रणाली के साथ पम्प हाउस, 7 Iron Removal Plant, 7 जलमीनार, 7 जलमीनार कैम्पस, 22.350 कि0मी0 राइजिंग मेन एवं 371.800 कि0मी0 जल वितरण नेटवर्क का कार्य किया जायेगा, जिससे पूर्णिया शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

F:\Somya 14\amrut\Cabinet 08.09.2025\Cabinet sanlekh Purnia WS.docx

16

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत डेहरी डालमियानगर जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 33,30,42,076 /– (तैंतीस करोड़ तीस लाख बयालीस हजार छिहत्तर रू०) की प्रशासनिक स्वीकृतिप्रदान की गयी है।

डेहरी डालमियानगर जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :–

डेहरी डालमियानगर जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत 6549 गृह जल संयोजन हेतु 3 जलमीनार, 3 जलमीनार कैम्पस एवं 38.14 कि0मी0 जल वितरण नेटवर्क का कार्य किया जायेगा, जिससे डेहरी डालमियानगर शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

(17)

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

|| प्रेस नोट ||

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत मोतिहारी जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 1,87,13,18,596/– (एक सौ सतासी करोड़ तेरह लाख अठारह हजार पाँच सौ छियानवे रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मोतिहारी जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :–

मोतिहारी जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत 21930 गृह जल संयोजन हेतु 18 ट्यूब्वेल, 18 क्लोरीनेटर प्रणाली के साथ पम्प हाउस, 10 जलमीनार, 9 जलमीनार कैम्पस, 9.450 कि0मी0 राइजिंग मेन एवं 244.700 कि0मी0 जल वितरण नेटवर्क का कार्य किया जायेगा, जिससे मोतिहारी शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

|| प्रेस नोट ||

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत बोधगया सिवरेज नेटवर्क एवं STP निर्माण परियोजना हेतु लागत राशि रू० 1,21,87,73,034/– (एक सौ इक्कीस करोड़ सत्तासी लाख तिहत्तर हजार चौंतीस रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बोधगया सिवरेज नेटवर्क एवं STP निर्माण परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :–

बोधगया सिवरेज नेटवर्क एवं STP निर्माण परियोजना में 10 वार्डो के 6000 गृह को सिवरेज नेटवर्क से जोड़ने के लिए 4 MLD का STP, 54 कि0मी0 सिवरेज नेटवर्क, 02 मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन, 300 मी0 Effluent राइजिंग मेन एवं 3.210 कि0मी0 राइजिंग मेन का कार्य किया जायेगा, जिससे बोधगया शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को सिवरेज नेटवर्क की सुविधा प्राप्त होगी।

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

F:\Somya 14\amrut\Cabinet 08.09.2025\Cabinet sanlekh Bodhgaya Sewerage.docx

19

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेस–नोट

औरंगाबाद जिलान्तर्गत भखरूआँ (75) एवं तरारी (आंशिक–74) को नगर परिषद, दाउदनगर में सम्मिलित किये जाने के पश्चात दोनों ग्रामों को सभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ वहाँ के नागरिकों को मिल सकेगा एवं शहरी सुविधाओं का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। इससे राज्य में शहरीकरण में वृद्धि होगी।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेस नोट

पथ निर्माण विभाग के अधीन संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु तकनीकी कानूनी सलाहकार (Techno Legal Advisor) के 01 (एक) पद के सृजन के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी),
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

d:\binod\yadubir jee\sanlekh for techno legal expert\janch patra 22-02-2024.docx

प्रेस नोट

पथ निर्माण विभाग को वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत अन्य अनुरक्षण व्यय के अधीन ओ0पी0आर0एम0सी0 तथा पथों एवं पुलों के अनुरक्षण एवं मरम्मत संबंधी कार्यों हेतु कुल रू0–400.00 करोड़ (चार सौ करोड़) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने एवं इसकी प्रतिपूर्ति द्वितीय अनुपूरक आगणन से कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

22

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

प्रेस नोट

श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, सिमडेगा (झारखण्ड) के विरूद्ध अलकतरा अधिप्राप्ति के मामले में दर्ज सी0बी0आई0 काण्ड संख्या–RC-16(A)/2009(R) में माननीय विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0, राँची के द्वारा दिनांक–29.03.2019 को पारित आदेश के तहत सजा दिये जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या–590(एस) दिनांक–02.02.2023 द्वारा श्री सिन्हा को "तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त" कर दिया गया। उक्त न्यायादेश के विरूद्ध श्री सिन्हा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, राँची में Cr. Appeal No-403/2019 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 21.08.2023 को पारित न्यायादेश के तहत सी0बी0आई0 न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। तदालोक में श्री सिन्हा के सेवा से बर्खास्त करने संबंधी निर्गत उक्त अधिसूचना को निरस्त करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई है।

(संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी)
सचिव

पथ निर्माण विभाग
प्रेस नोट

केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अंतर्गत पथ प्रमंडल नवादा के अंतर्गत नवादा स्टेशन रोड से सुपौल पी.डब्लु.डी. रोड नवादा के चैनेज 0.00 से चैनेज 11.600कि०मी० (कुल लंबाई 11.600कि०मी०) भाया गोसाई बिगहा एवं जेहाना तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबुतीक़रण कार्य हेतु कुल राशि 4362.71 लाख (तैतालिस करोड़ बासठ लाख इकहत्तर हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

पथ की कुल लंबाई 11.600 कि.मी. है, जिसमें चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कराया जाना हैं

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पथ निर्माण विभाग

प्रेस नोट

केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अंतर्गत पथ प्रमंडल पूर्णियां अंतर्गत धमदाहा से कुवारी पथ के कि०मी० 0.00 से 11.20 कि०मी० का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹3601.02 लाख (छत्तीस करोड़ एक लाख दो हजार) रूपये मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित योजना की कुल लंबाई 11.20 कि०मी० है, जिसका चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य कराया जाना है।

विषयांकित योजना के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध हो रहा है।

(संदीप कुमार आर०पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

25

पथ निर्माण विभाग
प्रेस नोट

केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अंतर्गत पथ प्रमंडल बक्सर अन्तर्गत चौसा गोला से कोचस पथ के चैनेज 0.00 कि०मी० से 22.00 कि०मी० (कुल लंबाई 22.00कि०मी०) का मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹11258.28 लाख (एक सौ बारह करोड़ अंठावन लाख अठाईस हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ की कुल लंबाई 22.0 कि.मी. तथा कैरेज वे की चौड़ाई 7.0मी० है, इसमें पथ मजबूतीकरण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(संदीप कुमार. आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

26

पथ निर्माण विभाग
प्रेस नोट

केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अंतर्गत पथ प्रमंडल भागलपुर के अंतर्गत भागलपुर–हंसडीह पथ (एस.एच.–19) लोहिया ब्रीज से एन.एच.–80 बाईपास चैनेज 0.00 कि०मी० से 3.700 कि०मी० (कुल लंबाई 3.70 कि०मी०) में 4–लेन निर्माण कार्य हेतु कुल ₹5017.38 लाख (पचास करोड़ सत्तरह लाख अड़तीस हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ की कुल लंबाई 3.70 कि.मी. है, जिसमें 4–लेन का निर्माण कार्य किया जाना हैं

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(27)

पथ निर्माण विभाग
प्रेस नोट

केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अंतर्गत पथ प्रमंडल मोतिहारी अन्तर्गत नरीरगीर–चम्पापुर–आदापुर पथ के कि०मी० 0.00 से 6.95 कि०मी० एवं कि०मी० 6.95 से 15.00 कि०मी० का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹5741.13 लाख (सन्तावन करोड़ एकतालिस लाख तेरह हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

पथ की कुल लंबाई 15.00 कि.मी. है, जिसमें चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कराया जाना हैं

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पथ निर्माण विभाग

प्रेस नोट

केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अंतर्गत पथ प्रमंडल छपरा अंतर्गत दिघवारा, भेल्दी, अमनौर, तरैया से सीमरी बांध पथ के कि०मी० 42.00 से 54.00 कि०मी० का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹4868.51 लाख (अड़तालिस करोड़ अड़सठ लाख इक्कावन हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित योजना की कुल लंबाई 12.00 कि०मी० है, जिसका चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य कराया जाना है।।

विषयांकित योजना के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध हो रहा है।

(संदीप कुमार आर०पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पथ निर्माण विभाग
प्रेस नोट

केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अंतर्गत पथ प्रमंडल मधुबनी अन्तर्गत राजनगर–मोतीपुर–खैरा पथ के कि०मी० 0.00 से 12.50 (कुल लंबाई 12.50 कि०मी०) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹7337.73 लाख (तिहत्तर करोड़ सैतीस लाख तिहत्तर हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ की कुल लंबाई 12.50 कि.मी. है। जिसमें चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कराया जाना है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

30

पथ निर्माण विभाग

प्रेस नोट

केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अंतर्गत पथ प्रमंडल अररिया अंतर्गत जयनगर से घुरना (भारत–नेपाल सीमा पथ) भाया नरपतगंज पथ (कुल लंबाई 35.77 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹13907.54270 लाख (एक सौ उन्चालीस करोड़ सात लाख चौवन हजार दो सौ सत्तर) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित योजना की कुल लंबाई 35.77 कि०मी० है, जिसमें चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य कराया जाना है।

विषयांकित योजना के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध हो रहा है।

(संदीप कुमार आर०पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पथ निर्माण विभाग
प्रेस नोट

केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अंतर्गत पथ प्रंमडल भागलपुर के अंतर्गत भागलपुर–अगरपुर–कोतवाली पेभ्ड शोल्डर (10मी० चौड़ाई) चैनेज 0.000 कि०मी० से 17.750 कि०मी० सहित 2–लेन पथ का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 11402.40 लाख (एक सौ चौदह करोड़ दो लाख चालीस हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

पथ की कुल लंबाई 17.750 कि.मी. है, जिसमें चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कराया जाना है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पथ निर्माण विभाग

प्रेस नोट

केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अंतर्गत पथ प्रमंडल ढ़ाका अन्तर्गत गाँधी चौक से लौखान पथ के कि०मी० 0.00 से 12.00 कि०मी० का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹5260.95 लाख (बावन करोड़ साठ लाख पंचान्बे हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित योजना की कुल लंबाई 12.00 कि०मी० है, जिसमें चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य कराया जाना है।

विषयांकित योजना के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध हो रहा है।

(संदीप कुमार आर०पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

पटना में बांकीपुर बस स्टैंड परिसर की भूमि पर जन–निजी भागीदारी के माध्यम से पाँच सितारा होटल के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रियायती एकरारनामा दस्तावेज के आधार पर सफल निविदाकर्त्ता को लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) निर्गत करने की स्वीकृति के संबंध में।

राजधानी पटना में पर्यटकों को आधुनिक सुविधायुक्त गुणवत्तापूर्ण आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तीन पाँच सितारा होटलों का निर्माण कार्य जन–निजी भागीदारी के माध्यम से किये जाने के निर्णय के क्रम में बांकीपुर बस स्टैंड परिसर के 3.24 एकड़ की भूमि पर पाँच सितारा होटल के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रियायती एकरारनामा दस्तावेज के आधार पर सफल निविदाकर्त्ता **SARGA HOTEL PVT.LTD, KOLKATA** को लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) निर्गत किया जाना है। LOA निर्गत करने के उपरांत चयनित H1 Bidder द्वारा भूमि के लीज की राशि एवं अनुज्ञप्ति राशि का भुगतान निम्नरूपेण किया जाएगा :–

(क) लीज किये गये भूमि के न्यूनतम पंजीकृत मूल्य (MVR) का भुगतान–

(i) उक्त भूमि निवेशक को 90 वर्ष (60+30 वर्ष) के लिए लीज पर दिया जायेगा। इस भूमि का न्यूनतम पंजीकृत मूल्य (MVR) 68,04,00,000/– (अड़सठ करोड़ चार लाख) रूपये मात्र है, जिस पर 9.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज की गणना की जायेगी। ब्याज सहित भूमि के पंजीकृत मूल्य की राशि का भुगतान अधिकतम 11 वर्षों में निवेशक द्वारा रियायती एकरारनामा दस्तावेज में अंकित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा।

(ख) वार्षिक अनुज्ञप्ति प्रीमियम का भुगतान–

(i) चयनित निविदाकर्ता द्वारा H1 के रूप में निर्धारित राशि अर्थात 18,60,00,000/– (अठारह करोड़ साठ लाख) रूपये मात्र + अनुमान्य GST की राशि का भुगतान Request for Proposal (RFP) एवं रियायती एकरारनामा दस्तावेज (Concessioner Agreement) की शर्तों के अनुरूप Yearly License Premium के रूप में वार्षिक रूप से किया जायेगा।

इस होटल के निर्माण से राज्य में आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों को उच्चस्तरीय आधुनिक आवासन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी, जिसके फलस्वरूप पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हो सकेगी। पाँच सितारा होटल के आस–पास आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि से राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होगी, साथ ही रोजगार सृजन की संभावनाएँ भी बढ़ेगी। उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
<u>पर्यटन विभाग</u>

<u>प्रेस नोट</u>

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर, गयाजी मंदिर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु मुख्य परामर्शी (Principal Consultant) के रूप में एच. सी. पी. डिजाईन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट Pvt. Ltd., अहमदाबाद का मनोनयन के आधार पर चयन एवं इस कार्य हेतु होने वाले व्यय के वहन की स्वीकृति के संबंध में।

गयाजी जिलान्तर्गत विष्णुपद मंदिर ऐतिहासिक, पौराणिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। पितृपक्ष मेला के अवसर पर लाखों की संख्या में देशी एवं विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है। इस परिक्षेत्र का समग्र विकास राज्य में पर्यटकों के अधिकाधिक संख्या में मेला अवधि के दौरान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष के दौरान भ्रमण हेतु आकर्षण का केन्द्र बन सकता है। भारत सरकार के केन्द्रीय बजट 2024–25 में बिहार के गयाजी स्थित विष्णुपद मंदिर का बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विश्वस्तरीय तीर्थ स्थल और पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने हेतु इस स्थल को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के अनुरूप समग्र रूप से विकसित करने की घोषणा की गयी है।

गयाजी एवं बोधगया के समग्र विकास हेतु कन्सल्टेंट एजेंसी मेसर्स आई.पी.ई. ग्लोबल का चयन किया गया है। कन्सल्टेंट एजेंसी के द्वारा गयाजी एवं बोधगया से संबंधित तैयार बेस लाइन सर्वे के अवलोकन से ज्ञात होता है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी के तर्ज पर विष्णुपद मंदिर, गयाजी के समग्र विकास हेतु इस कार्य के लिये एक अलग से मुख्य परामर्शी चयन की आवश्यकता है।

अतः काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर, गयाजी मंदिर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु मुख्य परामर्शी (Principal Consultant) के रूप में एच. सी. पी. डिजाईन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट Pvt. Ltd., अहमदाबाद का मनोनयन के आधार पर चयन किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना

35

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेस – नोट

पंचायत उप निर्वाचन, 2025 के अवसर पर मतदान दिवस दिनांक 09.07.2025 को चिन्हित मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग/स्ट्रीमिंग, सभी मतदान केन्द्रों पर चेहरा पहचान प्रणाली (Facial Recognition System) की व्यवस्था तथा मतगणना दिवस दिनांक 11.07.2025 को मतगणना स्थल पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नेशन आधारित रिकॉर्डिंग, स्ट्रीमिंग और वेबकास्टिंग (Optical Character Recognition Based Recording, Streaming & Webcasting) का कार्य ₹1,88,69,530.00 (एक करोड़ अट्ठासी लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ तीस रूपये) मात्र की राशि की लागत से नामांकन के आधार पर भारत संचार निगत लिमिटेड को करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त व्यवस्थाओं के फलस्वरूप पंचायत उप निर्वाचन, 2025 को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से निष्पादित किया गया है।

(मनोज कुमार)
सचिव

36

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

प्रेस नोट

बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक संवर्ग के प्रोन्नति के पद यथा वरीय उत्पाद रसायन परीक्षक (अराजपत्रित) का 03 (तीन) पद एवं मुख्य उत्पाद रसायन परीक्षक (राजपत्रित) के 01 (एक) पद इस प्रकार कुल 04 (चार) पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इससे रसायन परीक्षक संवर्ग के मूल कोटि के पद से उच्चतर पद पर प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा एवं उत्पाद रसायन परीक्षकों के मनोबल में वृद्धि के साथ–साथ उत्पाद नमूनों की जाँच में गुणवत्ता बढ़ेगी।

(अजय यादव)
सरकार के सचिव,
बिहार, पटना।

(37)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

प्रेस नोट

महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा एवं शक्तिकरण के उद्वेश्य से भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021–22 से 2025–26 तक के लिए मिशन शक्ति योजना के संचालन की स्वकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजना के उप योजना 'सामर्थ्य' के तहत शक्ति सदन का संचालन किये जाने का प्रावधान है। जिसके तहत कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं एवं मानव तस्करी से पीड़ित महिलाओं को एक छत के नीचे राहत एवं पुनर्वास की सेवाएँ प्रदान की जाती है। उल्लेखनीय है कि राज्य में पूर्व से ही ऐसी महिलाओं को राहत पुनर्वास, आश्रय, भोजन एवं परामर्श आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत अल्पावास गृह का संचालन किया जा रहा है। उक्त दोनों योजनाओं के लक्षित समूह तथा योजना उद्वेश्य के समरूपता को देखते हुए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत संचालित अल्पावास गृह को शक्ति सदन में समाहित कर संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

राज्य में शक्ति सदन योजना के संचालन किये जाने पर एक छत के नीचे कठिन परिस्थितियों में रह रही एवं मानव तस्करी से पीड़ित महिलाओं को राहत, पुनर्वास, आश्रय, भोजन एवं परामर्श आदि की सेवाएँ प्रदान की जा सकेगी।

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

38

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

प्रेस नोट

राज्य सरकार द्वारा छः सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, यथा– इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के पेंशनधारियों का वार्षिक जीवन प्रमाणीकरण कराया जाना है।

आधार आधारित जीवन प्रमाणीकरण की तकनीकी क्षमता एवं राज्य के दूर–दराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसके वृहत नेटवर्क को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनधारियों के आधार आधारित जीवन प्रमाणीकरण हेतु नामांकन के आधार पर कॉमन सर्विस सेन्टर ई–गवर्नेन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड को चयनित किये जाने का निर्णय लिया गया है जहाँ पेंशनधारी अपने सुविधानुसार घर के नजदीक कॉमन सर्विस सेन्टर जाकर मुफ्त में जीवन प्रमाणीकरण करा सकेंगे।

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

23/50

संoसंo:–06A/N-15-74/2025 1160(6) 20/09/2025

39

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
प्रेस नोट

राज्य के शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान के सुदृढ़ीकरण हेतु बाह्य सत्रों (Outreach Sessions) एंव आदर्श प्रतिरक्षण केन्द्रो (Model Immunization Centres) पर कार्य करने हेतु रू०–11,500/– (ग्यारह हजार पाँच सौ) प्रतिमाह पर संविदागत नियोजित ए०एन०एम० कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर रू०–15,000/– (पंद्रह हजार) तथा 05 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(शैलेश कुमार)
विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

40

23/70

संoसंo—14 / विविध—22 / 2025
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनरों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति में स्पष्टता होगी।

15/9/2025

(वैभव चौधरी)
अपर सचिव।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प संख्या–450(1) दिनांक–15.04.2017 सह–पठित शुद्धि पत्र संख्या–479(1) दिनांक–26.04.2017 द्वारा राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को राज्य अन्तर्गत तीन वर्षो की अनिवार्य सेवा देने संबंधी प्रावधान लागू है।

उक्त संकल्प द्वारा लागू प्रावधान में संशोधन उपरान्त राज्य में पी०जी०/डिप्लोमा डिग्री प्राप्त चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी एवं राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों द्वारा अनिवार्य सेवा प्रदान करने संबंधी व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू हो पायेगी।

11.09.25
(सुमन कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

Estt/D/Vibha Ji/ Sanlakh

36

सं0 सं0–09 / बालक / बालिका छा0 यो0–04 / 2025

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2025–26 से मुख्यमंत्री बालक / बालिका छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ग 9वीं एवं 10वीं के सामान्य कोटि के छात्र / छात्रा (अल्पसंख्यक सहित) के लिए निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर ₹1800 / –(अठारह सौ) को संशोधित करते हुए ₹3600 / –(छत्तीस सौ) वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने की स्वीकृति एवं दर संशोधन के फलस्वरूप उक्त योजना हेतु कुल वार्षिक व्यय ₹99,21,24,000 / – (निन्यानबे करोड़ इक्कीस लाख चौबीस हजार रूपये) की स्वीकृति के संबंध में।

सचिव,
शिक्षा विभाग।

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संचिका संख्या :–06/वि० 09–242/2025

प्रेस नोट

राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र एवं छात्रा एवं प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2025–26 से छात्रवृति योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृति दर को कक्षा–I से IV तक रू० 600/–(छः सौ) को संशोधित करते हुए रू० 1200/–(बारह सौ), कक्षा–V से VI तक रू० 1200/– (बारह सौ) को संशोधित करते हुए रू० 2400/–(चौबीस सौ) एवं कक्षा–VII से VIII तक रू० 1800/–(अठारह सौ) को संशोधित करते हुए रू० 3600/–(छत्तीस सौ) वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने की स्वीकृति एवं दर संशोधन के फलस्वरूप उक्त योजना हेतु कुल वार्षिक व्यय रू० 3,00,00,00,000/– (तीन अरब) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रवृति योजना (सामान्य कोटि) के तहत छात्र/छात्रा को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक सहयोग के माध्यम से विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार किया जा सकेगा।

(दिनेश कुमार)
सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

५५

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

गया जिलान्तर्गत अंचल–डोभी के मौजा–मुड़ियल, थाना सं0–207, खाता सं0–66, खेसरा सं0–2194 का कुल रकबा–40 एकड़ अनावाद बिहार सरकार किस्म–नरसरी भूमि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–17, बोधगया वाहिनी की स्थायी अधिष्ठापन हेतु गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– दीपक कुमार सिंह
पदनाम :– अपर मुख्य सचिव

45

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

कैमूर जिलान्तर्गत अंचल–चैनपुर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु मौजा–बड़ी तकिया, थाना सं0–308, खाता सं0–76, खेसरा सं0–32, रकबा–24.69 एकड़ कृषि विभाग, बिहार, पटना की भूमि स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क हस्तान्तरित करते हुए उक्त भूमि के बदले कृषि विभाग, बिहार, पटना को अंचल–चैनपुर, मौजा–रणजीतपुर, थाना सं0–152, खाता सं0–22, खेसरा सं0–21 एवं 47, रकबा–9.52+5.48=15.00 एकड़ एवं मौजा–मझिगॉवा, थाना सं0–913, खाता सं0–134, खेसरा सं0–123, रकबा–9.69 एकड़ कुल रकबा–24.69 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की समतुल्य भूमि कृषि विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– (दीपक कुमार सिंह)
पदनाम :– अपर मुख्य सचिव

46

बिहार सरकार
<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग</u>

प्रेस नोट

पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा–दुजरा–दियारा, थाना नं0–139 में कुल प्रस्तावित रकबा–1.23 एकड़ असर्वेक्षित भूमि पर पटना मेट्रो रेल परियोजना के निमित्त C & D Waste Plant के निर्माण हेतु 4,200/– रू0 प्रति डी0 की दर से सलामी–5,16,600/– रू0 एवं सलामी का 05 प्रतिशत व्यवसायिक वार्षिक लगान 25,830/– रू0 के आधार पर 05 वर्षों का लगान अर्थात् 1,29,150/– रू0 सहित कुल राशि–6,45,750/– (छः लाख पैंतालीस हजार सात सौ पचास) रू0 के भुगतान पर 05 वर्षों के लिए अस्थायी लीज पर लीज नवीकरण विकल्प के साथ पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को दिये जाने की स्वीकृति ।

हस्ताक्षर :–
नाम :– दीपक कुमार सिंह
पदनाम :– अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

नालन्दा जिलान्तर्गत अंचल–राजगीर के मौजा–राजगीर, थाना सं0–485 के विभिन्न खाता एवं खेसरा का कुल रकबा–10 एकड भवन निर्माण, बिहार, पटना के स्वामित्व की भूमि पाँच सितारा होटल के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को स्थायी निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– (दीपक कुमार सिंह)
पदनाम :– अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

48

प्रेस नोट

सारण जिलान्तर्गत अंचल—गरखा के मौजा—फुलवरिया, थाना सं0—406 के खाता सं0—114, खेसरा सं0—2242, रकबा—8.561 एकड़ एवं खाता सं0—248, खेसरा सं0—2241, रकबा—8.939 एकड़ कुल रकबा—17.50 एकड़ गैरमजरूआ मालिकान परती कदीम भूमि खेल अवसंरचना निर्माण हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना को स्थायी निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :—
नाम :— दीपक कुमार सिंह
पदनाम :— अपर मुख्य सचिव

49

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

सिवान जिलान्तर्गत अंचल—महाराजगंज के मौजा—बड़का टेघड़ा, थाना सं0—137, खाता सं0—48, खेसरा सं0—1004, की कुल प्रस्तावित रकबा—05 एकड़, किस्म—गैरमजरूआ मालिक परती कदीम बिहार सरकार की भूमि केन्द्रीय विद्यालय, महाराजगंज के स्थायी भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :—
नाम :— (दीपक कुमार सिंह)
पदनाम :— अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर के स्थायी स्थापना अन्तर्गत पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 204 पदों में से 145 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए आवश्यकता आधारित विभिन्न कोटि के 26 अतिरिक्त पदों के सृजन का निर्णय लिया गया।

(आनन्द किशोर)
सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य में सीमित संख्या में पहाड़ों के उपलब्ध रहने के कारण इन्हें संरक्षित करने साथ ही वन क्षेत्रों एवं उसके बाहर सरकारी/सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। कृषि रोड मैप के अन्तर्गत हरियाली मिशन योजना भी संचालित की जा रही है। चतुर्थ कृषि रोडमैप के अन्तर्गत वर्तमान में बिहार राज्य में अवस्थित हरितावरण को 14.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत तक करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कई नई योजनाओं के साथ–साथ मृदा एवं जल संरक्षण योजना, कृषि वानिकी योजना, मुख्यमंत्री निजी/अन्य प्रजाति पौधशाला योजना, नमामी गंगे योजनायें, शहरी वानिकी योजना, नहर/पथ तट वृक्षारोपण, जल–जीवन–हरियाली से संबंधित योजनायें संचालित की जा रही है। वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु ईको पर्यटन से संबंधित कई योजनायें भी संचालित की जा रही है। विभाग को प्रत्येक जिले में पार्क का विकास योजना क्रियान्वित किये जाने का दायित्व भी सौंपा गया है। योजना के सूत्रण, सृजन एवं क्रियान्वयन स्तर (वन प्रमंडलों) का कार्यभार काफी बढ़ गया है। साथ ही विभाग द्वारा व्यापक पैमाने पर लगाये गये पौधों की सुरक्षा भी एक चुनौती है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग के प्रशासकीय/प्रबंधकीय तंत्र के सुदृढीकरण, वानिकी कार्यों के नियंत्रण एवं जन समुदाय से प्रभावी सामंजस्य के दृष्टिकोण से विभिन्न संवर्गों में कुल 1491 अतिरिक्त पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है।

(आनन्द किशोर)
सरकार के प्रधान सचिव

52

बिहार सरकार
<u>पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग</u>

प्रेस विज्ञप्ति

गांगेय डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों को गति देने के उद्देश्य से रूपये 30.52 करोड़ की लागत से पटना विश्वविद्यालय के लॉ–कालेज घाट परिसर में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र, पटना की स्थापना की गयी है। वर्तमान में यह केन्द्र भारत का पहला गांगेय डॉल्फिन केन्द्र तो है ही, अपितु समस्त एशिया में इस प्रकार का अकेला केन्द्र है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र, पटना के सुलभ संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल 45 पदों के सृजन का निर्णय लिया है। इन पदों के सृजन से यह केन्द्र राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन के सुरक्षा, संरक्षण, शोध, पर्यटन इत्यादि कार्यों में राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्ती योगदान दे सकेगा।

(आनन्द किशोर)
सरकार के प्रधान सचिव

53

बिहार सरकार
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में रखे गये वन्यजीवों के प्रबंधन, पर्यटकों के प्रबंधन के साथ–साथ सुचारू संचालन, वन्यजीवों के 24X7 सुरक्षा, प्रबंधन तथा देखभाल के साथ–साथ प्रदान की जा रही सुविधाओं एवं परिसम्पदाओं के रख–रखाव इत्यादि कार्य हेतु पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के कुल 172 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(आनन्द किशोर)
सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य में सीमित संख्या में पहाड़ों के उपलब्ध रहने के कारण इन्हें संरक्षित करने साथ ही वन क्षेत्रों एवं उसके बाहर सरकारी/सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। कृषि रोड मैप के अन्तर्गत हरियाली मिशन योजना भी संचालित की जा रही है। चतुर्थ कृषि रोडमैप के अन्तर्गत वर्तमान में बिहार राज्य में अवस्थित हरितावरण को 14.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत तक करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कई नई योजनाओं के साथ–साथ मृदा एवं जल संरक्षण योजना, कृषि वानिकी योजना, मुख्यमंत्री निजी/अन्य प्रजाति पौधशाला योजना, नमामी गंगे योजनायें, शहरी वानिकी योजना, नहर/पथ तट वृक्षारोपण, जल–जीवन–हरियाली से संबंधित योजनायें संचालित की जा रही है। वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु ईको पर्यटन से संबंधित कई योजनायें भी संचालित की जा रही है। विभाग को प्रत्येक जिले में पार्क का विकास योजना क्रियान्वित किये जाने का दायित्व भी सौंपा गया है। योजना के सूत्रण, सृजन एवं क्रियान्वयन स्तर (वन प्रमंडलों) का कार्यभार काफी बढ़ गया है। साथ ही विभाग द्वारा व्यापक पैमाने पर लगाये गये पौधों की सुरक्षा भी एक चुनौती है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग के प्रशासकीय/ प्रबंधकीय तंत्र के सुदृढीकरण, वानिकी कार्यों के नियंत्रण एवं जन समुदाय से प्रभावी सामंजस्य के दृष्टिकोण से बिहार राज्य के अन्तर्गत वन प्रमंडलों के पुनर्गठन के साथ–साथ 9 नये वन प्रमंडलों के सृजन एवं उसके लिये विभिन्न कोटि के कुल 927 पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है।

(आनन्द किशोर)
सरकार के प्रधान सचिव

55

बिहार सरकार
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य में हरितावरण में वृद्धि के उद्देश्य से वन क्षेत्र एवं उसके बाहर वृक्षारोपण हेतु कई योजनायें संचालित हैं। वर्त्तमान में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु ईको पर्यटन के लिए योजनायें एवं प्रत्येक जिले में पार्क का विकास योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना के सूत्रण, सृजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के क्रम में विभाग का कार्यभार काफी बढ़ गया है।

इस आलोक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार अन्तर्गत सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न कोटि के कुल 78 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(आनन्द किशोर)
सरकार के प्रधान सचिव

मु०स्था०–09 / 2018 नीरज

बिहार सरकार

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

रिट याचिका (सिविल) संख्या–202/1995: टी0एन0 गोदावरमन थिरूमलपद बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना एवं संचालन के विनियमन के लिए दिशा–निदेश जारी करने हेतु भारत सरकार; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निदेश दिया गया था। तदालोक में मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा–निदेशों के अनुरूप बिहार राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना एवं संचालन को विनियमित करने के लिए "बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990" को विलोपित करते हुए इसके बदले नया अधिनियम, "बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2025" प्रख्यापित किया गया है। बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2025 को कार्यान्वित किए जाने हेतु बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 के तहत् बनायी गयी नियमावली, बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) नियमावली, 1993 को विलोपित करते हुए नई नियमावली, बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(आनन्द किशोर)

सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार
कृषि विभाग

प्रेस नोट

राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक कुल 02 (दो) वर्षों में कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), लखीसराय के बाजार प्रांगण का आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास के लिए 41,71,03,000/– (एकतालीस करोड़ एकहत्तर लाख तीन हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में तत्काल 10,00,00,000/– (दस करोड़) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि बाजार समिति के प्रांगण में कृषकों द्वारा उत्पादित फसल उपज के लाभकारी मूल्य प्राप्ति हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है एवं बाजार समिति प्रांगण को विकसित एवं इसका आधुनिकीकरण किया जाना है। इससे किसानों को कृषि उत्पादों के क्रय विक्रय हेतु बाजार की सुविधा प्राप्त होगी। बाजार प्रांगण का आधुनिकीकरण एवं विकास होगा। यहाँ पर अनाज एवं फल–सब्जी की अलग–अलग बाजार व्यवस्था, स्टोरेज की सुविधा आदि प्राप्त होगी, जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी।

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

बेगूसराय जिलान्तर्गत सिमरिया धाम का फेज–1 के तहत वृहद एवं समग्र विकास किये जाने हेतु प्राक्कलित राशि 64,77,04,000/–(चौसठ करोड़ सतहत्तर लाख चार हजार) रूपये मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

बेगूसराय जिले में अवस्थित सिमरिया धाम एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल है। इस स्थल के साथ कई धार्मिक मान्यताएँ भी जुड़ी हुई है। बिहार की इस भूमि को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली होने का भी गौरव प्राप्त है। इस स्थल पर कार्तिक मास में एक महीने का प्रसिद्ध कल्पवास मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं/पर्यटकों का आगमन होता है। इन तथ्यों के आलोक में उक्त धाम के वृहद एवं समग्र पर्यटकीय विकास हेतु फेज–1 के तहत प्राक्कलित राशि 64,77,04,000/–(चौसठ करोड़ सतहत्तर लाख चार हजार) रूपये मात्र की कार्य–योजना तैयार की गयी है।

इस योजना के अन्तर्गत G+1 धर्मशाला भवन, बैंक्वेट हॉल, चहारदिवारी, पार्किंग, पाथ–वे, एवं प्रवेश द्वार का निर्माण, हाईमास्ट लाईट, वॉटर स्पोर्टस तथा साईट के विकास इत्यादि से संबंधित कार्य किये जायेगें। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा किया जायेगा।

इस योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप उक्त स्थल पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होगी तथा स्थानीय स्तर पर भी रोजगार का सृजन होगा। उक्त परिपेक्ष्य में उल्लेखित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना

प्रेस नोट

पथ प्रमंडल मुंगेर अंतर्गत लखनपुर पानी टंकी से सरौन, मकवा, नवटोलिया, मुजफ्फरगंज होते हुए भोमासी पुल (हवेली खड़गपुर पथ) तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल 5801.53 लाख (अनठावन करोड़ एक लाख तिरपन हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

पथ की कुल लंबाई 15.60 कि.मी. एवं पथ परत की वर्तमान चौड़ाई 3.75 मी0 है। जिसे चौड़ीकरण कर इंटरमिडिएट लेन (5.50मी.) किया जाना है।

यह पथ एक महत्वपूर्ण पथ है जिसके चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित यातयात उपलब्ध होगा।

(संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

दिनांक 07.05.20225 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2025–26 में नाबार्ड के RIDF Tranche-XXXI में सम्मिलित किये जाने हेतु संपन्न Project Screening Committee (PSC) की बैठक में सिंचाई प्रक्षेत्र अन्तर्गत 23 अदद योजनाओं के प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है, जिसमें मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा परिक्षेत्राधीन सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर अन्तर्गत पूर्वी कोशी नहर प्रणाली का पुनर्स्थापन कार्य भी सम्मिलित है।

योजना से लाभः–

इस योजना के कार्यान्वयन हो जाने से 2401 हे0 में सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन हो सकेगा। जिससे सुपौल जिला के बसंतपुर एवं छातापुर, मधेपुरा जिला के कुमारखण्ड तथा अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड के कृषक लाभान्वित होंगे।

इस योजना अन्तर्गत निम्न कार्य प्रावधानित हैः–

इस योजना अन्तर्गत शिवनगर वितरणी, फुलकाहा वितरणी, परियाही वितरणी, रानपट्टी वितरणी एवं लालपुर वितरणी के विभिन्न बिन्दुओं पर कैनाल सायफन, सायफन एक्वाडक्ट, क्रॉस ड्रेनेंज, हयूम पाईप सी0डी0, सी0आर0, एच0आर0, एकपथीय सेतु, सी0आर0 ब्रीज, एकपथीय सेतु कम फॉल एवं कल्भर्ट इत्यादि क्षतिग्रस्त संरचनाओं का पुनर्स्थापन कार्य किया जाना है।

सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर अन्तर्गत पूर्वी कोशी नहर प्रणाली का पुनर्स्थापन कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि रू0 52,35,59,000 (बावन करोड़ पैंतीस लाख उनसठ हजार रूपये) मात्र है तथा दिसम्बर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

61

प्रेस नोट

सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 एवं राज्य सरकार के 7 निश्चय में से एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इस योजना के तहत बिहार राज्य के 20 से 25 वर्ष आयुवर्ग के 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवक/युवतियाँ, जो आगे की पढ़ाई नहीं किए हों और ना ही कर रहें हों, को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर प्रत्येक माह 1000.00 (एक हजार) रूपये की दर से स्वयं सहायता भत्ता अधिकतम 2 वर्षों तक दिया जा रहा है।

राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्व से संचालित "मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना के लाभुकों के शैक्षणिक योग्यता में स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से) उत्तीर्ण को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इसके फलस्वरूप राज्य के स्नातक उत्तीर्ण 20–25 आयु वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों को भी रोजगार की तलाश करने एवं स्व–रोजगार स्थापित करने में आर्थिक सहायता हेतु 1000/– रूपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्षों तक स्वयं सहायता भत्ता की राशि प्रदान की जाएगी एवं उन्हें श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित कौशल विकास से संबंधित निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।

22/9/2020

(के0 सेंथिल कुमार)
प्रधान सचिव
योजना एवं विकास विभाग
बिहार, पटना

62

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

प्रेस नोट

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना 'सम्बल' के अन्तर्गत देय बैट्री चालित ट्राईसाईकिल के प्रावधानों तथा कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण के प्रकार एवं उनकी संख्या में विस्तारीकरण एंव प्रावधानों में आंशिक संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पूर्व से निर्धारित किये गये प्रावधानों में संशोधित किये जाने तथा दिव्यांगजनों को दिये जाने वाले सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग, कैलिपर आदि के प्रकार एवं संख्या में विस्तारीकरण से राज्य के अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजन लाभान्वित हो सकेंगे।

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

63

बिहार सरकार
विधि विभाग

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख के निमित्त आत्मभरित टिप्पणी सहित प्रेस नोट।

दिनांक–01 जनवरी, 2024 को या उसके पश्चात् नामांकित सभी नये अधिवक्ताओं को तीन वर्ष तक 5000/– (पाँच हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से स्टाइपेन्ड देने, एवं राज्य के अधिवक्ता संघों को को ई–लाइब्रेरी स्थापित करने हेतु 5,00,000/– (पाँच लाख) रुपये की एकमुश्त सहायता दिये जाने, एवं बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता हेतु एकमुश्त 30,00,00,000/– (तीस करोड़) रुपये की राशि प्रदान किये जाने हेतु समग्र नीति तैयार की गयी है।

इसके अलावा राज्य के अधिवक्ता संघों में महिला अधिवक्ताओं के लिए पिंक टॉयलेट की सुविधा प्रदान करने हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार से अनुरोध किया जा सकेगा तथा अधिवक्ताओं को आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर योग्य आय से नीचे के अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से चिकित्सीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु समुचित निर्णय लेने का अनुरोध स्वास्थ्य विभाग से किया जा सकेगा।

इसके फलस्वरूप बिहार राज्य के अधिवक्ताओं का कल्याण होगा, उनकी आर्थिक स्थति सुदृढ़ होगी और उनके माध्यम से आमजन को त्वरित न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।

(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।

64

प्रेस नोट

वित्त विभाग

एम०ए०सी०पी० योजना, 2010 को निरसित करते हुए दि०–01.01.2009 से "बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन) नियमावली, 2025" राज्य कर्मियों के लिए लागू किया जाता है।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

3A\LF 25\Sanlekh\press note

68

बिहार सरकार
गृह विभाग
प्रेस नोट

केन्द्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता योजना (ASUMP) अन्तर्गत वर्ष 2025–26 के लिए केन्द्रांश की राशि ₹ 3038.1620 लाख (तीस करोड़ अड़तीस लाख सोलह हजार दो सौ रू0) मात्र एवं राज्यांश की राशि ₹ 2025.4414 लाख (बीस करोड़ पच्चीस लाख चौवालिस हजार एक सौ चालीस रू0) मात्र अर्थात कुल राशि ₹ 5063.6034 लाख (पचास करोड़ तिरसठ लाख साठ हजार तीन सौ चालीस रू0) मात्र का वार्षिक कार्य योजना तथा ₹ 1528.3425 लाख (पन्द्रह करोड़ अठाईस लाख चौतीस हजार दो सौ पचास रू0) मात्र के पूरक कार्य योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में।

केन्द्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता योजना (ASUMP) में केन्द्र एवं राज्य की सहभागिता का अनुपात 60:40 है। केन्द्र प्रायोजित उक्त योजना के अन्तर्गत मुख्यतः उपकरण, उपस्कर, वाहन, प्रशिक्षण, संचार आदि शामिल है।

(प्रणव कुमार)
सचिव

66

बिहार सरकार

गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

प्रेस–नोट

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के अंतर्गत राज्य मे अग्निशमन सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु बिहार राज्य को आवंटित राशि के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में नये अग्निशमन भवनों के निर्माण, विभिन्न प्रकार के अग्निशमन वाहनों/उपकरणों के क्रय एवं अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यो को पूर्ण करने हेतु कुल–₹ 340,90,00,000 (तीन सौ चालीस करोड़ नब्बे लाख रू0) मात्र {केन्द्रांश की राशि ₹ 255,68,00,000 (दो सौ पचपन करोड़ अड़सठ लाख रू0) मात्र एवं राज्यांश की राशि ₹ 85,22,00,000 (पचासी करोड़ बाईस लाख रू0) मात्र} की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 8431.03 लाख (चौरासी करोड़ एकतीस लाख तीन हजार रू०) {केन्द्रांश ₹ 7670.40 लाख (छिहत्तर करोड़ सत्तर लाख चालीस हजार रू0) मात्र तथा राज्यांश राशि ₹ 760.63 लाख (सात करोड़ साठ लाख तिरेसठ हजार रू0) मात्र} विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(प्रणव कुमार)
सचिव

67

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेस नोट

आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र (ERSS) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक तकनीकी उपकरण, तकनीकी सहयोग तथा प्रशिक्षण कराने के निमित्त C-DAC (Total Service Provider) द्वारा Command & Control Centre, Rajbanshi Nagar, Patna में लगाये जाने वाले नये सर्वर के क्रय हेतु उपलब्ध करायी गयी विशिष्टियों के आलोक में बिहार वित्त संशोधन नियमावली, 2024 के नियम–131 (द) के आलोक में GeM Portal पर नामांकन के आधार पर एकल स्त्रोत से अधिप्राप्ति की स्वीकृति।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्र संख्या 1876

दिनांक 19.10.2006 के आलोक में

निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना

प्रेस नोट

= = = = =

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी का वार्षिक मानदेय निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप उनका मानदेय भुगतान, गणना प्रपत्र, बी०एल०ओ० किट तथा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संबंधी व्यय का भुगतान हेतु संभावित अतिरिक्त व्यय की कुल राशि ₹122,00,00,000/–(एक सौ बाइस करोड़) रूपये मात्र का वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत निर्वाचन विभाग के मांग संख्या–06, मुख्य शीर्ष–2015, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103, उपशीर्ष–0001 के विषय शीर्ष 13 01 कार्यालय व्यय में बिहार आकस्मिकता निधि से उपबंध कराने की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर–
नाम– मिथिलेश कुमार साहु
पदनाम– संयुक्त सचिव

69

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस नोट

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) (यथा संशोधित) के क्रमांक–20 पर दर्ज कलवार एवं अन्य जातियों की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाने का निर्णय लिया गया है।

Rajender

(डॉ० बी० राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
गृह विभाग

प्रेस नोट

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत नियमावली का गठन किया गया है। बिहार राज्य में आपराधिक न्यायालयों और दण्डाधिकारियों के सक्षम अन्वेषण, जाँच या विचारण के दौरान प्रस्तुत की गयी सम्पति की उचित अभिरक्षा, दक्षतावेजीकरण और निपटान के लिए पूर्व में स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं थी। इस नियमावली के माध्यम से विषयांकित मामले में निष्पादन के लिए विहित प्रक्रियाएँ निर्धारित की गयी है।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव
गृह विभाग
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेस–नोट

विषयः– वर्तमान में बिहार राज्य में साईबर बैंकिंग लेन–देन में ठगी/जालसाजी/नौकरी/लॉटरी/डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर ठगी/नकली वेबसाईट/सोशल मीडिया/ई–मेल हैकिंग आदि जो समय के साथ और जटिल रूपों यथा रैन्समवेयर अटैक/डॉस अटैक/डीप/डार्क वेब पर गैरकानूनी कार्य/बिटकॉइन धोखाधड़ी/साईबर आतंकवाद एवं इससे संबंधित अन्य अपराधों पर गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी कार्रवाई करने में कठिनाई होती है।

अतएव साईबर इकाई को आर्थिक अपराध इकाई, बिहार से पृथक करते हुये साईबर अपराध एवं साईबर सुरक्षा के लिए एक समर्पित "साईबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई" का गठन करने एवं इसके संचालन हेतु विभिन्न कोटि के 23(तेईस) नये पदों को सृजन और पूर्व से सृजित एवं विमुक्त विभिन्न कोटि के 321(तीन सौ इंक्कीस) पदों को कर्णांकित तथा 207 पदों को हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव
गृह विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
गृह विभाग
प्रेस नोट

विषय :– गृह विभाग के अधीन महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएँ एवं गृह रक्षा वाहिनी, बिहार, पटना का कार्यालय निदेशालय के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएँ का पद पुलिस महानिदेशक–सह– महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के साथ संलग्न है। बिहार अग्निशमन सेवा मुख्यालय के स्तर से क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यों का नियंत्रण एवं अनुश्रवण किया जाता है एवं समय–समय पर आवश्यक अनुदेश एवं मार्गदर्शन निर्गत किए जाते हैं। महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना के पटना स्थित मुख्यालय के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से बिहार सचिवालय सेवा/बिहार सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा/बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा तथा कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग के अंतर्गत विभिन्न कोटि के स्थायी रूप से कुल–42 पदों का सृजन किया जा रहा है।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव,
गृह विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
गृह विभाग (कारा)

प्रेस नोट

भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में दण्डादेश के अन्तर्गत प्रावधानित "सामुदायिक सेवा" के संबंध में 'बिहार सामुदायिक सेवा नियमावली–2025' का गठन किया जा रहा है।

2. 'बिहार सामुदायिक सेवा नियमावली–2025' के गठन का उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता, 2023 में प्रावधानित दण्ड "सामुदायिक सेवा" को क्रियान्वयन करना है।

सचिव
गृह विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

74

प्रेस नोट

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली–2021, दिनांक–20.03.2021 के प्रभाव से राज्य में प्रवृत्त हुई है। इस नियमावली में राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि के विभिन्न पदों का प्रावधान करते हुए उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्धारण भी किया गया है।

बिहार अग्निशमन सेवा के बढ़ते बहुउद्धेशीय कार्यभार एवं अग्निशमन की नई चुनौतियों के आलोक में नये अग्निशामालयों की बढ़ रही संख्या और क्रय किये गये विभिन्न प्रकार के अग्निशामक वाहनों के लिए बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 4(ख) में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार अग्निशमन सेवान्तर्गत कनीय सेवा संवर्ग (अराजपत्रित, वर्दीधारी) के विभिन्न कोटि के अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाना आवश्यक हो गया है।

बिहार अग्निशमन सेवान्तर्गत कनीय सेवा संवर्ग (अराजपत्रित, वर्दीधारी) के विभिन्न कोटि के कुल–2075 (दो हजार पचहत्तर) अतिरिक्त पदों का सृजन किये जाने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि नये अग्निशामालयों की बढ़ रही संख्या के आलोक में क्रय किये गये विभिन्न प्रकार के अग्निशामक वाहनों का सुचारू रूप से संचालन, बिहार अग्निशमन सेवा के बढ़ते बहुउद्धेशीय कार्यभार तथा अग्निशमन की नई चुनौतियों का सामना किया जा सके।

(प्रणव कुमार)
सचिव,
गृह विभाग

75 55/70

बिहार सरकार
उद्योग विभाग।

संचिका संख्या–**SIPB2412000871**

प्रेस नोट

मेसर्स शालीमार पैलेट फीड्स लि0, औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर, मरंगा, पुर्णियाँ में 120000 MTPA क्षमता की पॉल्ट्री फीड निर्माण इकाई की स्थापना हेतु कुल ₹3010.30 लाख (तीस करोड़ दस लाख तीस हजार रूपये) मात्र के निजी पूँजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति दी गयी। इकाई की स्थापना होने पर राज्य में पूँजी निवेश के साथ–साथ कुल 50 कुशल एवं अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन हो सकेगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

प्रेस नोट

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि० के निविदा शर्त्त में प्रावधानित अधिकतम अवधि (यथा दो वर्ष तथा अधिकतम एक वर्ष का अवधि विस्तारण) को अधिक्रमित (Supersede) करते हुए विशेष परिस्थिति में Bihar Financial (Amendment) Rules, 2024 के नियम सं०–131 ज्ञ(त) के तहत नामांकन (Nomination) के आधार पर कार्यहित में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि० द्वारा TCS (iON) को वर्तमान निविदा एवं अनुबंध के दर एवं शर्त्त पर दिनांक 27.09.2025 से आगे तीन महीने के लिए निर्गत कार्यादेश की घटनोत्तर स्वीकृति।

उद्देश्य :–

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि० के माध्यम से M/S TCS (iON) राज्य सरकार की विभिन्न संस्थाओं के लिए Computer Based Test (CBT) परीक्षा सम्पन्न करती हैं। M/S TCS (iON) का कार्य अनुबंध अवधि दिनांक 27.09.2025 को समाप्त हो रही है। कार्यहित में M/S TCS (iON) को निर्गत कार्यादेश से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB), जीविका, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लि० (BSPHCL), बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति आदि के परीक्षा कार्य बिना किसी गत्यावरोध के जारी रखे जा सकेंगे।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

77

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

पटना मेट्रो रेल परियोजना अन्तर्गत Priority Corridor के संचालन हेतु विभिन्न अवयवों यथा–Graphics Stickering फीस, स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस, विद्युत कनेक्शन राशि, पावर अनुपलब्धता शुल्क एवं पर्यवेक्षण शुल्क, अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क, प्रायोरिटी कॉरिडोर के लिए संचालन एवं रख–रखाव का व्यय तथा वेतन, भत्ते एवं कार्यालय व्यय की कुल अनुमानित राशि ₹7381.21526 लाख (तिहत्तर करोड़ इक्यासी लाख ईक्कीस हजार पाँच सौ छब्बीस रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(अभय कुमार सिंह),
स्रकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

78

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, पटना के साथ बंदोबस्त भू–खण्ड पटना–गया रोड़ स्थित मौजा–मुहर्रमपुर, खासमहाल प्लॉट सं0–1029, रकबा–40 कट्ठा 05 धुर लीज होल्ड भू–खण्ड के लीज नवीकरण के पश्चात् लीज एकरारनामा में लगने वाले स्टाम्प शुल्क की राशि–1,50,93,750/– (एक करोड़ पचास लाख तिरानवे हजार सात सौ पचास) रू0 की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने के संबंध में।

हस्ताक्षर :–
नाम :– दीपक कुमार सिंह
पदनाम :–अपर मुख्य सचिव

79

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेस–नोट

बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन (ब्याज एवं शास्ति में छूट) योजना, 2025 की स्वीकृति के फलस्वरूप करदाताओं को ब्याज एवं शास्ति से छूट मिलेगी। फलतः अधिक–से–अधिक करदाता संपत्तिकर का भुगतान करेंगे और नगर निकायों के राजस्व संग्रहण में वृद्धि होगी।

इस योजना के अन्तर्गत यदि करदाता वर्तमान वित्तीय वर्ष के सम्पत्ति कर के साथ पूर्व के बकाये करों का एकमुश्त भुगतान करते है, तो उन्हें ब्याज और शास्ति से पूरी तरह छूट मिलेगी।

इसके अतिरिक्त जिन करदाताओं ने अपनी धृति का स्वकर निर्धारण नहीं किया है, वे भी सम्पत्ति कर का निर्धारण करवा सकेंगे तथा योजनावधि में कर निर्धारण करवाने पर उन्हें शास्ति से छूट मिलेगी।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

८०

बिहार सरकार
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

प्रेस नोट

पटना जिला के शहरी क्षेत्रों में सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार–प्रसार के साथ बिहार में विकास एवं निवेश के लिए वातावरण बनाने का प्रयास होर्डिंग–फ्लैक्स के माध्यम से किये जाने हेतु होर्डिंग का संस्थापन भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु पटना जिला के शहरी क्षेत्रों में होर्डिंग के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु क्षेत्रीय प्रचार योजना के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से कुल 2,57,00,000/– (दो करोड़ संतावन लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति तथा उक्त राशि भवन निर्माण विभाग के विपत्र कोड–03–40596005510109 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

30/08/25

(अनुपम कुमार)
सचिव
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

81

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संचिका संख्या –15/पी 5–09/2015

प्रेस–नोट

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन में सुधार के लिए योजना की मार्गदर्शिका में कतिपय संशोधन एवं नए प्रावधानों को जोड़े जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि योजना का क्रियान्वयन बेहतर हो सके। इसके कुछ मुख्य बिन्दुओं में अधिकतम 4 लाख रूपये का शिक्षा ऋण सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होना, 2 लाख रूपये तक के ऋण को अधिकतम 60 मासिक किस्तों (5 वर्ष) से बढ़ाकर अधिकतम 84 मासिक किस्तों (7 वर्ष) में तथा 2 लाख के ऊपर के ऋण राशि को 84 मासिक किस्तों (7 वर्ष) से बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक किस्तों (10 वर्ष) में वापस किया जाना, पाठ्यक्रम अवधि अथवा Moratorium अवधि अथवा मासिक किस्त भुगतान की अवधि के दौरान मृत्यु पर ऋण माफी से संबंधित सुधार शामिल हैं। संशोधित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका को स्वीकृति प्रदान की गई।

(दिनेश कुमार)
सचिव

82

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2025–26 से राज्य योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य में पूर्व से संचालित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत कार्यरत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को वर्त्तमान में प्रतिवर्ष शिक्षण सामग्री मद में दी जा रही राशि 3405/– (तीन हजार चार सौ पाँच रु०) को बढ़ाकर 12000/- (बारह हजार रु०) (एक हजार प्रति माह की दर से) प्रति केन्द्र करने एवं डिजिटल गतिविधियों के सम्पादन हेतु स्मार्ट फोन क्रय करने के लिए प्रत्येक शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को सहायता राशि एक मुश्त 10000/- (दस हजार रु०) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

(दिनेश कुमार)
सचिव, शिक्षा विभाग।

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेस नोट

शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित सरकारी विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/कार्यालयों की भूमि का सत्यापन, भूमि के विवरण का संकलन एवं संरक्षण संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु 3 (तीन) वर्षो के लिए संविदा के आधार पर सेवानिवृत लिपिक के 40 पद एवं बेल्ट्रॉन से संविदा आधारित कम्प्यूटर ऑपरेटर के 40 पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

(डॉ० बी० राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग।

84

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्त्ता एवं आशा फैसिलीटेटर के पारितोषिक में वृद्धि एवं "ममता" कार्यकत्ताओं के प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में निर्गत किये गये संकल्प सं0 197(7) दिनांक–06.08.2025 एवं 198(7) दिनांक–06.08.2025 की प्रभावी तिथि दिनांक–06.08.2025 को संशोधित करते हुए "दिनांक–01.07.2025 की तिथि से प्रभावी" किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

25.9.25

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि० को परियोजनाओं के संचालन/रख-रखाव/क्रियान्वयन हेतु अन्य सरकारी उपक्रमों की भाँति नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के उपक्रम (जो कि पूर्व से कार्यरत 04 SPVs के क्षमताओं के सदुपयोग हेतु Re-purposing के लिए समतुल्य) के रूप में निरंतर कार्यरत रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि० को परियोजनाओं के संचालन/रख-रखाव/क्रियान्वयन हेतु अन्य सरकारी उपक्रमों की भाँति नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के उपक्रम (जो कि पूर्व से कार्यरत 04 SPVs के क्षमताओं के सदुपयोग हेतु Re-purposing के लिए समतुल्य) के रूप में निरंतर कार्यरत होने से पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को स्मार्ट सुविधाएँ प्राप्त होगी।

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
प्रेस नोट

श्री प्रशान्त कुमार, तत्कालीन सहायक निबधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सहायक निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना के पटना, मुजफ्फरपुर एवं सिवान स्थित आवासीय मकान एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी के क्रम में विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना द्वारा पाया गया कि श्री कुमार, उनकी पत्नी एवं पुत्र के नाम पर प्लॉट की खरीद की गयी है, जिसका मूल्य लगभग रू0 1,86,05,000/– (एक करोड़ छियासी लाख पॉच हजार रूपये) है। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बैकों में 80 लाख, एन0एस0सी0 में 20 लाख, 36 लाख के गहने का निवेश तथा 02 वाहनों का क्रय किया गया है। पटना स्थित मकान की तलाशी के दौरान रू. 2,40,000/– (दो लाख चालीस हजार रूपये) नगद एवं 30 लाख रूपये का जेवरात बरामद हुआ। श्री कुमार ने अपनी सेवा अवधि के दौरान आय के वैध स्रोत जैसे वेतन, ऋण और अन्य ज्ञात स्रोत से अधिक लगभग रू. 2.06/– करोड़ का अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना द्वारा थाना कांड सं0–15/2022, दिनांक 09.11.2022 भ्र0नि0अधि0, 1988 की धारा–12, 13(1)(बी0) एवं 13(2) तथा आई0पी0सी0 की धारा–120 (बी.) के तहत् दर्ज किया गया है। श्री कुमार का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के प्रावधानों के प्रतिकूल रहने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 सह यथा संशोधित नियमावली 2007 के नियम–14(xi) के तहत् सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति।

2. राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिये कटिबद्ध है। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के फलस्वरूप भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मियों के विरूद्ध नियमानुसार दण्ड अधिरोपित होगा एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित हो सकेगा।

(अजय यादव)
सरकार के सचिव

I:\Prasant Kumar AIG\Press Note.doc

87

बिहार सरकार

<u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>

बिहार, पटना

।। प्रेस नोट ।।

राज्य में औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ग्रीन बिल्डिंग इत्यादि गतिविधि को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना (SASCI Reforms), 2025-26 एवं अनुपालन प्रक्रिया में कमी और विनियमन में ढील (Compliance Reduction & Deregulation) के संदर्भ में बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित–2025) में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

(84)

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेस नोट

आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र (ERSS) परियोजना के अंतर्गत आपात अनुक्रिया वाहन (ERVs) के परिचालन कार्य के लिए आर्मी वेलफेयर प्लेसमेन्ट ऑर्गेनाईजेशन (AWPO) नामक एजेन्सी से सेना के सेवानिवृत्त चालकों की स्वीकृत मानदेय की राशि प्रति माह ₹ 25,750 (पच्चीस हजार सात सौ पचास रू0) मात्र से बढ़ाकर ₹ 30,000 (तीस हजार रू0) मात्र करने की स्वीकृति।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव

बिहार सरकार
गृह विभाग

प्रेस नोट

सैनिक कल्याण निदेशालय में निदेशक एवं सहायक निदेशक तथा जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी एवं सहायक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी की भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु "बिहार पूर्व सैन्य पदाधिकारी सेवा नियमावली, 2025" के गठन की स्वीकृति दी गई है।

(प्रणव कुमार)
सचिव
गृह विभाग

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस–नोट

विधि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5708 दिनांक 04.09.2025 एवं महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–73982 दिनांक 04.09.2025 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में **बिहार सिविल कोर्ट, कोर्ट मैनेजर (चयन, नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2025** की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

(डॉ॰ बी॰ राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

(91)

बिहार सरकार

<u>सामान्य प्रशासन विभाग</u>

प्रेस–नोट

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–68345 दिनांक 19.08.2025 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट पीटीशन–1022/89, ऑल इंडिया जजेज एसोसियेशन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य में दिनांक 20.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में **बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025** की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

(डॉ॰ बी॰ राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

D:\sec7\07\Rules\Amenment Higher Judicial 1951 Rules, 2025\Press Note.docx

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस–नोट

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–68345 दिनांक 19.08.2025 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट पीटीशन–1022/89, ऑल इंडिया जजेज एसोसियेशन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य में दिनांक 20.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में **बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2025** की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

Rajender

(डॉ॰ बी॰ राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

(93)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस–नोट

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना का पत्रांक–74581 दिनांक 08.09.2025 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में निबंधक (कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट) का 01 (एक) पद जिला न्यायाधीश कोटि से, उप निबंधक (कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट) का 01 (एक) पद असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) कोटि से एवं सहायक निबंधक (कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट) का 01 (एक) पद असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) कोटि से अर्थात् कुल 03 (तीन) पदों को सृजित किये जाने की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

(डॉ॰ बी॰ राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

G:\SEC-07\PAD SRIJAN\PRESS NOTE.docx

(९५)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस–नोट

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–68345 दिनांक 19.08.2025 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट पीटीशन–1022/89, ऑल इंडिया जजेज एसोसियेशन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य में दिनांक 20.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में **बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2025** की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

Rajender 30.9.2025

(डॉ॰ बी॰ राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

D:\sec7\07\Rules\Amendment 1955 rules, 2025\Press Note.docx

९५

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

—:: प्रेस नोट ::—

बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों का पुनर्गठन के फलस्वरूप बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 232, प्रशाखा पदाधिकारी के 238, अवर सचिव के 160, उप सचिव के 45 एवं संयुक्त सचिव के 46 अर्थात कुल 721 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

हस्ताक्षर :—

नाम :— गुफरान अहमद

पदनाम :— अपर सचिव

96

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

राज्य सरकार पर्यटन, शैक्षणिक शोध एवं विरासत संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु कृत संकल्पित है और इस उद्देश्य से कई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिसके आलोक में पटना के करबिगहिया क्षेत्र में अवस्थित निष्क्रिय विद्युत ताप ऊर्जा शक्ति घर को पर्यटन, शैक्षणिक शोध एवं विरासत संरक्षण के उद्देश्य से ऊर्जा संग्रहालय (Power Museum) के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में पटना के करबिगहिया क्षेत्र में अवस्थित निष्क्रिय विद्युत ताप ऊर्जा शक्ति घर को पर्यटन, शैक्षणिक शोध एवं विरासत संरक्षण के उद्देश्य से ऊर्जा संग्रहालय (Power Museum) के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति के प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित की गयी है।

(मनोज कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

1/60

97

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

प्रेस नोट

"बिहार महादलित विकास मिशन" के अन्तर्गत कार्यरत प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट क्रय करने के लिए एकमुश्त ₹25,000/-(पचीस हजार रू0) मात्र की दर से (₹25,000 X 9817)= ₹24,54,25,000/- (चौबीस करोड़ चौवन लाख पचीस हजार रू0) मात्र तथा 01 सितम्बर, 2025 के प्रभाव से परिवहन भत्ता एवं स्टेशनरी भत्ता में वृद्धि क्रमशः ₹1,900/- से ₹2,500/- एवं ₹900/- से ₹1500/- प्रति माह की दर से वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 7 माह के लिए ₹27,48,76,000/-(सत्ताईस करोड़ अड़तालीस लाख छिहत्तर हजार रू0) मात्र अर्थात् कुल अनुमानित व्यय ₹52,03,01,000/-(बावन करोड़ तीन लाख एक हजार रू0) मात्र तथा आगे के वर्षों में कुल वार्षिक व्यय ₹47,12,16,000/-(सैतालिस करोड़ बारह लाख सोलह हजार रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

22.9.25

सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

98

कतिपय शर्त्तों के अधीन पटना जिला के मोकामा शहर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु पथ निर्माण विभाग की मौजा–मोकामा खास, थाना सं0–30 की 10.11 एकड़ (दस एकड़ ग्यारह डिस्मिल) भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

बिहार पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्राचीन केन्द्र रहा है। राज्य में पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा देश–विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चालू की गयी है। पटना जिला का मोकामा शहर गंगा नदी के किनारे तीन प्राचीन जनपदों अंग, मगध और मिथिला के संगम स्थल पर अवस्थित है और नदी के उस पार अवस्थित सिमरिया घाट पर नियमित अंतराल पर लगने वाले अर्ध कुंभ मेले का प्रवेश द्वार है। इस प्रकार यह शहर सदियों से पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा है।

तिरूमला तिरूपति देवस्थानम्, तिरूपति, आंध्र प्रदेश द्वारा एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार उक्त संस्था द्वारा राज्य की राजधानी के आस–पास लगभग 10 (दस) एकड़ की भूमि के निःशुल्क आवंटन का अनुरोध किया गया है ताकि उक्त भूमि पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त समेकित सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल का निर्माण एवं प्रबंधन उनके द्वारा किया जा सके।

मंत्रिपरिषद् द्वारा उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पटना जिला के मोकामा शहर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु पथ निर्माण विभाग की उक्त 10.11 एकड़ (दस एकड़ ग्यारह डिस्मिल) भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस स्थल के विकास हेतु पर्यटन विभाग द्वारा तिरूमला तिरूपति देवस्थानम्, तिरूपति, आंध्र प्रदेश को समझौता ज्ञापन (MOU) के आधार पर 1 रुपये के टोकन शुल्क पर 99 वर्ष के लीज पर उक्त भूमि हस्तान्तरित की जा सकेगी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत किया जायेगा। निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय का वहन उपर्युक्त ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा। निर्माण के उपरांत उक्त स्थल का प्रबंधन भी उपर्युक्त ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। उक्त भूमि पर समेकित सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाओं के विकास से न केवल आस–पास के क्षेत्र का विकास होगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना

(99)

बिहार सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग
(वायुयान संगठन निदेशालय)

प्रेस नोट

मोतिहारी, छपरा एवं भागलपुर हवाई अड्डा का पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन (Pre Feasibility Study) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली से कराने तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2024 के नियम 131 (झ)(छ) की उपकंडिका–iii के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने एवं पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन (Pre Feasibility Study) शुल्क अग्रिम के रूप में ₹1,21,58,838/– (एक करोड़ इक्कीस लाख अन्ठावन हजार आठ सौ अड़तीस रूपये जी०एस०टी० सहित) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मोतिहारी, छपरा एवं भागलपुर हवाई अड्डा का पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन (Pre Feasibility Study) से हवाई अड्डा का निर्माण तेजी से होगा। हवाई अड्डा का निर्माण होने से राज्य एवं स्थानीय निवासियों को हवाई आवागमन एवं आर्थिक विकास में मदद मिलेगा।

(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
सरकार के विशेष सचिव

100

बिहार सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग
(वायुयान संगठन निदेशालय)

प्रेस नोट

भागलपुर जिला के सुल्तानगंज अंचल अंतर्गत भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण हेतु 931 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने के निमित्त अनुमानित मुआवजा राशि ₹4,72,72,00,000/– (चार सौ बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख रूपये) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

भागलपुर जिला के सुल्तानगंज अंचल अंतर्गत भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण होने से आवागमन की सुविधा एवं समय की बचत होगी। साथ ही आर्थिक विकास मे तेजी आयेगी एवं रोजगार के नये अवसर बनेंगे जिससे पूर्वी बिहार के समग्र विकास को गति मिलेगी।

(अखिलेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग
(वायुयान संगठन निदेशालय)

101

प्रेस नोट

राज्य में उड्डयन प्रशिक्षण संस्थानों एवं विमानन खेल (Aero Sport) के प्रोत्साहन, प्रशिक्षण विमानों एवं संबंधित उपकरणों के लीज पर अधिप्राप्ति तथा विमानन अवसंरचना के विकास हेतु एयरो क्लब ऑफ इंडिया (ACI), नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य में उड्डयन प्रशिक्षण संस्थानों एवं विमानन खेल (Aero Sport) के प्रोत्साहन, प्रशिक्षण विमानों एवं संबंधित उपकरणों के लीज पर अधिप्राप्ति तथा विमानन अवसंरचना के विकास हेतु एयरो क्लब ऑफ इंडिया (ACI), नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) किया जाना है।

बिहार को एक प्रमुख उड्डयन प्रशिक्षण तथा विमानन खेल केंद्र (Hub) के रूप में विकसित करना इस समझौते का मूल उद्देश्य है।

यह समझौता ज्ञापन, राज्य में उड्डयन प्रशिक्षण, विमानन खेल केंद्र तथा अन्य विमानन संरचना के विकास में सहायक होगा।

(अखिलेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

102

बिहार सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग
(वायुयान संगठन निदेशालय)

प्रेस नोट

सहरसा जिला अवस्थित हवाई अड्डा के रनवे विस्तार हेतु अतिरिक्त 12.08891 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु अनुमानित मुआवजा राशि ₹1,47,76,56,180/– (एक सौ सैंतालीस करोड़ छिहत्तर लाख छप्पन हजार एक सौ अस्सी रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

सहरसा जिला अवस्थित हवाई अड्डा के रनवे विस्तार होने से आवागमन की सुविधा एवं समय की बचत होगी। साथ ही आर्थिक विकास मे तेजी आयेगी एवं रोजगार के नये अवसर बनेंगे जिससे पूर्वी बिहार के समग्र विकास को गति मिलेगी।

(अखिलेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

103

बिहार सरकार

<u>*मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग*</u>

प्रेस नोट

नई दिल्ली बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत राज्य के विभिन्न श्रेणी के सरकारी सेवकों के लिए सरकारी आवास की आवश्यकता है। **MTNL** की परिसम्पत्तियों (यथा–फ्लैट नं०–492, 494, 503 एवं बंगला नं0–850, 851, 852 और 853) के क्रय हो जाने के उपरांत नई दिल्ली में कार्यरत राज्य सरकार के सेवकों को सरकारी आवास की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत खेलगाँव, नई दिल्ली स्थित **MTNL** की उक्त परिसम्पत्तियों के क्रय हेतु रूपये 68.43 करोड मात्र एवं अन्य लागत शुल्क (यथा–लीज, फ्री–होल्ड आदि) के लिए अनुमानित रूपये 6.84 करोड़ अर्थात् कुल रूपये (68.43+6.84)=75.27 करोड़ (पचहत्तर करोड़ सत्ताईस लाख रूपये) मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(अखिलेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

E:\SASHI\HJI\04\12\1.doc

स0सं0— 1 / विविध—36 / 2024—

104

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान—सम्प्रति भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा के निर्माण योजना कार्य के संवेदक को Sole Arbitrator द्वारा पारित Award के आलोक में एकमुश्त रू० 150.00 करोड़ रुपये के भुगतान हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त अनुरोध के क्रम में राशि के बजटीय उपबंध की कमी को देखते हुए एकमुश्त राशि का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करते हुए किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2.10.25

अपर सचिव

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना

प्रेस नोट

बिहार एक बहुआपदा प्रवण राज्य है। राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण है, जबकि 30 जिले भूकम्प के दृष्टिकोण से संवेदनशील जोन V, IV एवं III के अन्तर्गत आते है। कुछ वर्षो के अन्तराल पर राज्य के कतिपय जिले विशेषकर दक्षिण बिहार के जिले सुखाड़ से भी प्रभावित होते रहते है। इसके अतिरिक्त यह राज्य अग्निकांड, शीतलहर, चक्रवात एवं ओलावृष्टि आदि से भी आक्रान्त रहता है।

एस०डी०आर०एफ० टीमों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक टीम में कम से कम एक रसोईया, एक जलवाहक, एक झाडूकश, एक नाई एवं एक धोबी का होना आवश्यक है, ताकि एस०डी०आर०एफ० टीम अपने जवानों के लिए भोजन एवं आवासन स्थल की साफ–सफाई, कपड़ों की धुलाई आदि की व्यवस्था खुद कर सके। इसके लिए उन्हें संबंधित जिला प्रशासन पर निर्भर न रहना पड़े। अतः एस०डी०आर०एफ० बटालियन के लिए गठित कुल 50 टीमों के लिए विभिन्न श्रेणी के पदों की व्यवस्था किया जाना है।

अतः राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) में फॉलोअर श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत 177 पदों के अतिरिक्त कुल 73 नये पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान किये जाने के फलस्वरूप राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) को दायित्त्व निर्वहन में सुविधा होगी।

(डॉ0 चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना।

F:\2025\Chandan Kumar I\SDRF\Sanlekh\Press Note 26-09-2025.docx

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

106

प्रेस नोट

राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा प्रत्येक व्यक्ति के न्यूनतम पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्त्ति के उद्देश्य को पूरा करने में गव्य विकास की अहम भूमिका है। गव्य प्रक्षेत्र की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार का सृजन करने के साथ–साथ दूध उत्पादन के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बल मिलेगा। राज्य में गव्य विकास निदेशालय अन्तर्गत गव्य प्रक्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण योजनाऐं जैसे समग्र गव्य विकास योजना, देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना, किसान प्रशिक्षण योजना, पशु बीमा योजना आदि क्रियान्वित की जा रही है। ये योजनाऐं राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। योजना का सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य के सभी जिलों में जिला गव्य विकास कार्यालय के स्थापना की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उक्त के क्रम में गव्य विकास निदेशालय अन्तर्गत गैर योजना मद से कुल 09 (नौ) जिलों में नये जिला गव्य विकास कार्यालय की स्थापना एवं विभिन्न कोटि के कुल 72 नये पदों के सृजन की स्वीकृति तथा उक्त के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार रुपये 4,47,37,692/– (रुपये चार करोड़ सैंतालीस लाख सैंतीस हजार छः सौ बानवे) मात्र की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी है।

अपर मुख्य सचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(107)

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेस – नोट

पंचायत आम निर्वाचन, 2026 में मल्टी पोस्ट ई.वी.एम. से मतदान कराने के निमित्त इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ई.सी.आई.एल.) हैदराबाद से मल्टी पोस्ट ई.वी.एम., पॉवर पैक, टोटलाईजर मशीन एवं डिटैचेवल मेमरी मॉड्यूल (Detachable Memory Module) को कुल ₹2,08,27,05,000.00 (दो सौ आठ करोड़ सताईस लाख पाँच हजार रूपये) मात्र की राशि की लागत से नामांकन के आधार पर क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त व्यवस्थाओं के फलस्वरूप पंचायत उप निर्वाचन, 2026 को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से निष्पादित किया गया है।

(मनोज कुमार)
सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्रांक 1876, दिनांक–19.10.2006 के आलोक में।

विभाग का नाम :– कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना।

संचिका संख्या–4सं. / स्था01–01 / 2013

प्रेस नोट

राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन राजकीय संग्रहालयों में वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्व से सृजित पदों की संख्या कम है, जबकि दो संग्रहालयों मुंगेर संग्रहालय, मुंगेर तथा बाबा कारू खिरहर प्रमंडलीय संग्रहालय, सहरसा में कोई भी पद सृजित नहीं है। संग्रहालय निदेशालय (मुख्यालय) तथा अन्य राजकीय संग्रहालयों को सुचारू रूप से चलाने हेतु न्यूनतम आवश्यकताधारित विभिन्न कोटि के कुल 139 (एक सौ उनचालीस) नये पदों का सृजन करने तथा पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के कुल 04 (चार) पदों के प्रत्यर्पण का प्रस्ताव है। पदों के प्रत्यर्पण के उपरांत कुल वार्षिक संभावित व्यय ₹ 5,64,17,000/– (पाँच करोड़ चौसठ लाख सतरह हजार) रुपये मात्र एवं यथा अनुमान्य अन्य भत्ते देय होंगे। पदों के सृजन के फलस्वरूप राजकीय संग्रहालयों का संचालन सुचारु रूप से हो सकेगा।

(प्रणव कुमार)
सचिव,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

।। प्रेस नोट।।

राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों के शिविरों में आवागमन हेतु रेल यात्रा शयनयान 3 Tier के जगह AC 3 Tier में यात्रा की अनुमान्यता तथा कैडेटों एवं अंशकालीन पदाधिकारियों के शिविर हेतु आवागमन काल के दौरान दैनिक भत्ता की दर 265/– (दो सौ पैसठ रूपये) मात्र करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त अभिवृद्धि के अनुसार राज्यांश के रूप में अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार कुल ₹ 22,51,521/–(बाईस लाख एकावन हजार पाँच सौ एक्कीस रूपये) मात्र की एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के कैडेटों को शिविरों में आने–जाने के लिए AC 3 Tier में यात्रा करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
बिहार, पटना।

EST.2025 (706)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेस–नोट

मांग संख्या–37 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना एवं विकास विभाग से योजना उद्व्यय हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में मुख्य शीर्ष 4515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष– 00– लघु शीर्ष–103– ग्राम विकास, उप शीर्ष–0121 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अन्तर्गत विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य में अतिरिक्त राशि ₹ 250.00 करोड़ (दो सौ पचास करोड़ रूपये) मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति प्राप्त किया गया है।

(सरवणन एम)
सचिव

111/70

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

"प्रेस नोट"

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के बी0 टेक0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के कौशल उन्नयन हेतु विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संकल्प–721 दिनांक–16.02.2024 इंटर्नशिप नीति को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विदित हो कि AICTE INTERNSHIP POLICY GUIDELINES & PROCEDURES के Chapter-2 के Table: 1 की कंडिका–3 के अनुसार बी0 टेक0 पाठ्यक्रम के सातवें सेमेस्टर में अध्ययरत् छात्र–छात्राओं को 4–6 सप्ताह का इंटर्नशिप किया जाना है। इस हेतु इंटर्नशिप नीति की कंडिका–3 एवं कंडिका–7 एवं विभागीय संकल्प–721 दिनांक–16.02.2024 की कंडिका–4 एवं कंडिका–6 में उल्लिखित "सातवें सेमेस्टर में आठ सप्ताह का इंटर्नशिप", के स्थान पर "सातवें सेमेस्टर में 4–6 सप्ताह का इंटर्नशिप" किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

तदालोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं हेतु विभागीय संकल्प–721 दिनांक–16.02.2024 एवं उक्त संकल्प द्वारा स्वीकृत इंटर्नशिप नीति में संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(डॉ० प्रतिमा)
सचिव।

115

विभाग का नाम :– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार ।

प्रेस नोट

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में आगामी खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को आवश्यक क्रियाशील पूँजी 12000.00 करोड़ (बारह हजार करोड़) रूपये के विरूद्ध कुल 9600.00 करोड़ (नौ हजार छः सौ करोड़) रूपये की ऋण राशि विभिन्न वित्तीय संस्थानों, यथा, व्यावसायिक बैंक/नाबार्ड आदि से प्राप्त किए जाने हेतु राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

हस्ताक्षर :–
नाम :– पंकज कुमार
पदनाम :– प्रधान सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना ।

113

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

देश के विभिन्न राज्यों यथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियागा एवं पश्चिम बंगाल से बिहार के कामगारों/आम यात्रियों को आवागमन की सुविधा प्रदान करने हेतु अंतर्राज्यीय मार्गों पर 150 बसों के परिचालन हेतु निजी बस ऑपरेटरों को बसों के क्रय करने हेतु प्रोत्साहन राशि के रूप में 20.00 (बीस) लाख रूपये प्रति बस दिये जाने हेतु कुल प्रोत्साहन राशि 30.00(तीस)करोड़ रूपये एवं योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु आकस्मिकता मद में योजना लागत का 02% अर्थात 60.00(साठ)लाख रूपये 30,60,00,000/- (तीस करोड़ साठ लाख) रूपये वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक कुल 05 वर्षों के लिए व्यय किये जाने हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-5516, दिनांक-03.07.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 06,12,00,000/-(छः करोड़ बारह लाख) रूपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि के रूप में प्राप्त कर व्यय किया जाना है।

2. अन्तर्राज्यीय मार्गों पर लोक निजी भागीदारी अंतर्गत निजी बस ऑपरेटरों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले 200 AC/Non AC बसों (44 सीटर) के परिचालन पर पीक साईड से 150 रू0 प्रति सीट एवं ऑफ पीक साईड से 300 रू0 प्रति सीट प्रोत्साहन राशि के रूप में कुल पांच वर्षों में कुल 35,64,00,000/-(पैंतीस करोड़ चौंसठ लाख रूपये) एवं योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु आकस्मिकता मद में योजना लागत का 02% अर्थात 71,28,000/-.(इकहत्तर लाख अठाइस हजार रूपये) सहित कुल राशि 36,35,28,000/- (छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख अठाईस हजार रूपये) वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक कुल 05 वर्षों के लिए व्यय किये जाने हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या-6729, दिनांक-13.08.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 07,27,06,000/-(सात करोड़ सताईस लाख छः हजार रूपये) बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि के अंतर्गत व्यय किया जाना है।

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 में अन्य राज्यों में रहने वाले बिहार के कामगारों/आम यात्रियों को उल्लेखित महत्वपूर्ण पर्वों के अवसर पर आवागमन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अन्तर्राज्यीय मार्गों पर 217 AC/Non AC बसों के परिचालन किया जाना है, जिसमें निर्धारित भाड़े में विशेष छूट दिये जाने हेतु कुल राशि 24,06,36,000/– (चौबीस करोड़ छः लाख छत्तीस हजार रूपये) का व्यय बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि प्राप्त कर किया जाना है।

अपर मुख्य सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग।
प्रेस नोट

चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत राज्य स्कीम मद से जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम योजना का वित्तीय वर्ष 2025–26 में 3125.39 लाख (इकतीस करोड़ पच्चीस लाख उनतालीस हजार रूपये मात्र) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में मुख्य फसल उत्पादन प्रणालियों की उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु प्रमुख जलवायु आधारित समस्याओं को संबोधित करने के लिए जलवायु अनुकूल कृषि के कार्यक्रम को राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित करने के साथ–साथ किसानों की आय में बढ़ोत्तरी, जैव विविधता में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कृषि क्षेत्र से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है।

इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर (18 जिला), डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (11 जिला), पूसा, समस्तीपुर, बीसा पूसा (07 जिला), समस्तीपुर, पूर्वी क्षेत्र हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पटना (02 जिला) द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से किया जाएगा।

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

113

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2025–26 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत केन्द्र प्रायोजित PM-RKVY अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 15364.00 लाख (एक सौ तिरेपन करोड़ चौसठ लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कृषि रोड मैप के अन्तर्गत कृषि यांत्रिकीकरण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना ली गई है। आधुनिक कृषि में कृषि यंत्रों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। राज्य के किसानों को अनुदानित दर पर आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाना है जिससे कृषि कार्यों में यांत्रिक शक्ति का अधिकतम उपयोग कर फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की जा सकेगी।

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

116/02

संचिका संख्या– 3/एम.–35/2025

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस नोट

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के विनियंत्रण हेतु **"बिहार प्रशासनिक सेवा (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2025"** का गठन किया जायेगा।

3/12/25
(गुफरान अहमद)
सरकार के अपर सचिव।

117

बिहार सरकार
गृह विभाग

प्रेस नोट

विषय :– आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण एवं प्रभावी ढंग से अन्वेषण के लिए तीन नए आपराधिक कानून यथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 लागू किए गए हैं। इन अधिनियमों के लागू हो जाने के फलस्वरूप सात वर्ष से अधिक दंड के प्रावधान की धाराओं में दर्ज कांडों की फॉरेंसिक जाँच अनिवार्य कर दी गई है।

तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के उपरांत से विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में जाँच हेतु प्राप्त होने वाले प्रदर्शों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हुई है। प्रदर्शों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि होने के कारण तत्काल संविदा नियोजन के माध्यम से कार्यबल की प्राप्ति हो सकेगी एवं नियमित नियुक्ति की प्रक्रियात्मक कार्रवाई सम्पन्न होने तक प्रदर्श जाँच का कार्य अवरूद्ध नहीं होगा।

सरकार के [illegible] सचिव

118

बिहार सरकार
गृह विभाग
प्रेस नोट

लोदीपुर, पटना में विशेष कार्य बल (STF) के मुख्यालय भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित कुल प्राक्कलित राशि ₹ 6311.00 लाख (तिरसठ करोड़ ग्यारह लाख रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने एवं राशि का व्यय चालू एवं अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में करने के संबंध में।

(प्रणव कुमार)
सचिव

(११९)

प्रेस नोट

वित्त विभाग

सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/07/2025 के प्रभाव से 55% के स्थान पर 58% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

120

1

सं०सं०: SHSB/AO Cell/08/2025

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत राज्य स्तर से लेकर स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर तक विभिन्न पदों पर कार्यरत सभी संविदागत कर्मियों के मानदेय में राज्य योजना मद से प्रत्येक माह के लिए 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का लाभ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3.10.25

(शंभु शरण)
अपर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार,पटना

121

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्र संख्या 1876

दिनांक 19.10.2006 के आलोक में

निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना

प्रेस नोट

= = = = =

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय में राज्य स्कीम से **Control Command Centre** के निर्माण की स्वीकृति तथा उक्त निर्माण कार्य पर कुल ₹9,15,00,000/– (नौ करोड़ पन्द्रह लाख) रूपये मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति सहित वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त राशि का बिहार आकस्मिकता निधि के माध्यम से उपबंध एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर–
नाम– मिथिलेश कुमार साहु
पदनाम– संयुक्त सचिव

122

बिहार सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग
(वायुयान संगठन निदेशालय)

प्रेस नोट

एक्स–रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम (X-BIS), हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (HHMD), एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर (ETD) और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (DFMD) के क्रय हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पटना को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2024 के नियम 131 (ज्ञ)(त) के आलोक में नामांकन के आधार पर तथा 131 (फ) के तहत अग्रिम के रूप में राशि ₹1,00,75,313/– (एक करोड़ पचहत्तर हजार तीन सौ तेरह रूपये 12% विभागीय शुल्क सहित) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

एक्स–रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम (X-BIS), हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (HHMD), एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर (ETD) और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (DFMD) के क्रय होने से VIP/VVIP उड़ानों की सुरक्षा को बढ़ाएगी, अंदरूनी खतरों को रोकने में सहायक होगी। साथ ही महत्वपूर्ण प्रस्थान ससमय निष्पादित होगें।

(अखिलेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

Scanned with OKEN Scanne

123

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

—:: प्रेस नोट ::—

बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों के पुनर्गठन के फलस्वरूप बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक के 440, निजी सहायक के 263, आप्त सचिव के 159, प्रधान आप्त सचिव के 65 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति एवं सप्तम वेतन पुनरीक्षण में राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की भाँति बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा में वरीय प्रधान आप्त सचिव के 58 नये पदों का सृजन करते हुए कुल 985 पदों के सृजन की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

हस्ताक्षर :—

नाम :— **संजय कुमार**

पदनाम :— **अपर सचिव**

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस नोट

सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 का लाभ अनुमान्य कराने हेतु निर्णय लिया गया है।

(गुफरान अहमद)
अपर सचिव।

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेस नोट

भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार आम चुनावों के दौरान माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित नियम एवं निर्देश (ब्लू बुक) के प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत सुरक्षा संबंधी अन्य दिशा–निर्देशों के अनुसार हेलीपैड, जनसभा के लिए मंच तथा मैदान की बैरीकेडिंग एवं रोड शो के दौरान सुरक्षा हेतु किये जाने वाले बैरिकेडिंग आदि कार्यों के क्रियान्वयन हेतु संवेदकों को सूचीबद्ध कर अथवा स्थानीय प्रचार–प्रसार के माध्यम से कार्य कराने के संबंध में।

(कुमार रवि)
सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

126

प्रेस नोट

हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) परियोजनाओं के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के द्वारा निर्गत RFP एवं Model Concession Agreement के आधार पर विभाग द्वारा तैयार प्रारूप Model Bidding Document की स्वीकृति एवं परियोजना विशेष के आवश्यकतानुसार विशेष शर्तों को निविदा में जोड़ने हेतु विभाग (यथा–पथ निर्माण विभाग, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० एवं बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०) को प्राधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

127

संचिका संख्या– 9/नि0-19-02/2025

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस नोट

बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियम–3 में विहित संवर्ग की संरचना में संशोधन हेतु **"बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025"** का गठन किया जायेगा।

(गुफरान अहमद)
सरकार के अपर सचिव।

128

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
<u>प्रेस नोट</u>

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट वर्क्स (एम0कैड0डब्लू0एम0) का आधुनिकीकरण कार्य को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के केन्द्र प्रायोजित उप–योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्यान्वयन का निर्णय लिया गया है जिसके तहत कमांड क्षेत्र को कलस्टर में विभाजित कर बुनियादी ढ़ांचे, वाटर एकाउंटिंग एवं कमांड एरिया प्रबंधन का आधुनिकीकरण किया जाना है।

इस योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सारण जिला अन्तर्गत बंगरा–किशुनपुर कलस्टर का चयन किया गया है, जिसमें प्रेसराईज्ड पाईप ईरीगेशन नेटवर्क (पी0पी0आई0एन0) के माध्यम से कमांड एरिया डेवलपमेंट वर्क्स (एम0कैड0डब्लू0एम0) का आधुनिकीकरण कार्य कराया जाना है जिसकी कुल प्राक्कलित राशि रू0 5040.00 लाख (पच्चास करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र है। उक्त राशि में केन्द्रांश की राशि रू0 2614.00 लाख है। शेष राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, जिसमें राज्यांश के अतिरिक्त राज्यन्तर्गत लागू सभी प्रकार के कर, फसल मुआवजा, अस्थायी भूमि अधिग्रहण आदि पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है।

इस योजना अन्तर्गत बंगरा–किशुनपुर कलस्टर के अन्तर्गत पम्प हाउस का निर्माण, प्रेसराईज पाईप लाईन नेटवर्क बिछाने का कार्य तथा सोलर मोड्यूल के अधिष्ठापन का कार्य कराया जाना है।

इस योजना के कार्यान्वयन के उपरांत सारण जिला अन्तर्गत जलालपुर, छपरा सदर एवं नगरा प्रखंड के माधोपुर, रामपुर, नूर नगर, नैनी, धूपनगर, धोबवल, अफौर पंचायतों के गम्हरिया खुर्द, जोरन छपरा, मानपुर, गम्हरिया कलाँ, बंगरा, रूदलपुर, माधोपुर, रामपुर, नूर नगर, छितरौली, गोपालपुर, सहीमपुर, बसडीला गाँव में कुल 2195 हे0 में प्रेशराइज्ड पाईप लाईन नेटवर्क से सिंचाई सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

इस योजना की कुल प्राक्कलित राशि रू0 5040.00 लाख (पच्चास करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र है तथा मार्च 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

(129)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट वर्क्स (एम0कैड0डब्लू0एम0) का आधुनिकीकरण कार्य को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के केन्द्र प्रायोजित उप–योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्यान्वयन का निर्णय लिया गया है जिसके तहत कमांड क्षेत्र को कलस्टर में विभाजित कर बुनियादी ढ़ांचे, वाटर एकाउंटिंग एवं कमांड एरिया प्रबंधन का आधुनिकीकरण किया जाना है।

इस योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पी0पी0आई0एन0 के माध्यम से मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोहम्मदपुर बादल (480) क्लस्टर के कमांड एरिया डेवलपमेंट वर्क्स (एम0कैड0डब्लू0एम0) का आधुनिकीकरण कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि रू0 5625.00 लाख (छप्पन करोड़ पच्चीस लाख रूपये) मात्र है। उक्त राशि में केन्द्रांश की राशि रू0 2918.00 लाख है। शेष राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, जिसमें राज्यांश के अतिरिक्त राज्यन्तर्गत लागू सभी प्रकार के कर, फसल मुआवजा, अस्थायी भूमि अधिग्रहण आदि पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है।

इस योजना अन्तर्गत बंगरा–किशुनपुर कलस्टर के अन्तर्गत पम्प हाउस का निर्माण, प्रेसराईज पाईप लाईन नेटवर्क बिछाने का कार्य तथा सोलर मोड्यूल के अधिष्ठापन का कार्य कराया जाना है।

इस योजना के कार्यान्वियन के उपरांत मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मुशहरी प्रखंड के बैकटपुर पंचायत के द्वारिकानगर, जलालपुर, बलभ्रद, माधोपुर, बैकटपुर ग्राम, छपरा मेघ पंचायत के छपरा मेघ ग्राम, मनिका हरिकेश पंचायत के सुतिहारा, नयागॉव, मनिका हरिकेश ग्राम एवं मुरौल प्रखंड के अन्तर्गत, मोहम्मदपुर बादल पंचायत के मोहम्मदपुर लालसे, दरधा चौसज, मोहम्मदपुर बादल, मोहम्मदपुर बादल, मोहम्मदपुर दामोदर, मोहम्मदपुर मोहन, मोहम्मदपुर गोखुल ग्राम, पिलखी, गजपत्ति पंचायत के पिलखी गजपत्ति ग्राम, विशनपुर श्रीराम पंचायत के विशुनपुर श्रीराम, विशुनपुर तिरि, शम्भा, गोपीनाथपुर, मारकन, गोपालपुर विशुनपुर लाला, हसनपुर, खासपट्टी उर्फ यदुनाथपुर ग्राम में कुल 2450 हे0 में प्रेशराइज्ड पाईप लाईन से सिंचाई सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

इस योजना की कुल प्राक्कलित राशि रू0 5625.00 लाख (छप्पन करोड़ पच्चीस लाख रूपये) मात्र है तथा मार्च 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग